असाधारण सामान्य बैठक की सूचना 10 जनवरी, 2013

Notice for Extraordinary General Meeting 10th January, 2013



एक परिवार एक बैंक

प्रधान कार्यालयः 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे- 411 005 Head Office: 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005

विषय-सूची INDEX

सूचना	1	Notice	11
टिप्पणियाँ		Notes	11-14
व्याख्यात्मक विवरण	4-5	Explanatory Statement	14-15
निदेशकों का निर्वाचन - संबंधित अधिनियमों, योजना तथा विनियमों आदि के उद्धरण	5-10	Election of Directors-Extracts of Relevant Acts, Scheme and Regulations etc.	15-20
नामांकन फॉर्म	21	Nomination Form	22
घोषणा फॉर्म	23	Declaration Form	24
उम्मीदवार द्वारा घोषणा व वचन-पत्र	25-26	Declaration and Undertaking by Candidate	27-28
प्रॉक्सी फॉर्म	29	Form of Proxy	30
उपस्थिति पर्ची, प्रवेश पर्ची एवं मतदान पर्ची	31	Attendance Slip, Entry Pass & Ballot Paper Pass	32

कार्यक्रम की महत्त्वपूर्ण तारीखें IMPORTANT DATES OF PROGRAMME

कार्यक्रम Event	तारीख Date
असाधारण सामान्य बैठक (ईजीएम) में उपस्थित होने और मतदान में भाग लेने के लिए शेयरधारकों की पात्रता का निर्धारण करने की विर्निदष्ट तारीख	7 दिसंबर, 2012
Specified date for ascrtaining the shareholders' eligibility to attend EGM and participate in election	7 th December, 2012
नामांकन फॉर्म प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख Last date for submission of nomination form	26 दिसंबर, 2012 26 th December, 2012
नामांकन की संवीक्षा Scrutiny of nominations	27 दिसंबर, 2012 27 th December, 2012
प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने संबंधी प्रॉक्सी फार्म और संकल्प प्राप्त करने की अंतिम तारीख Last date for receipt of proxy forms and resolutions for appointing authorised representatives	5 जनवरी, 2013 5 th January, 2013
असाधारण सामान्य बैठक की तारीख, समय और स्थान Date, time and venue of Extraordinary General Meeting	10 जनवरी, 2013 को प्रातः 10.00 बजे, अप्पासाहेब जोग हाल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005 10 th January, 2013 at 10.00 a.m. Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra,
	'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005



बैंक ऑफ महाराष्ट्र

(प्रधान कार्यालय, १५०१, लोकमंगल, शिवाजीनगर, पूर्ण - ४११ ००५.)

सूचना

बैंक ऑफ महाराष्ट्र के (शेयर तथा बैठकें) विनियमावली 2004 के विनियम 57 के अनुसरण में एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक **गुरूवार 10 जनवरी 2013** को प्रातः 10.00 बजे **अप्पासाहेब जोग हॉल,** बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 1501, 'लोकमंगल', शिवाजीनगर, पुणे - 411 005 में आयोजित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित कार्य-व्यवहारों का संचलन किया जाएगा :

1. केन्द्र सरकार के अलावा बैंक शेयरधारकों में से एक निदेशक का निर्वाचन करना जोिक बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) (भविष्य में "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (भविष्य में "विनियम अधिनियम" के रूप में संदर्भित), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 (भविष्य में "योजना" के रूप में संदर्भित) बैंक ऑफ महाराष्ट्र के (शेयर तथा बैठकें) विनियम 2004 (भविष्य में "विनियम" के रूप में संदर्भित) के साथ पिठत और अधिसूचनाएं क्र. डीबीओडी.क्र.बीसी.क्र.46 और 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 1 नवंबर 2007, भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 23 मई 2011 के अधिसूचना क्र. डीबीओडी.बीसी.क्र.95/29.39.001/2010-11 (भविष्य में "भारिबैं अधिसूचना" के रूप में संदर्भित) के साथ पिठत और निम्निलिखत संकल्प पारित करने के द्वारा जिनके संबंध में निर्धारित अनुसार वैध नामांकन प्राप्त हए हैं -

"संकिल्पत किया जाता है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) और इसके अंतर्गत बनाए गए संगत योजना, विनियमावली और अधिसूचना तथा भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसरण में केन्द्र सरकार के अलावा बैंक शेयरधारकों में से निर्वाचित एक निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए, तािक वह निर्वाचन के दिनांक से/ निर्वाचित माने गए दिनांक से कार्यभार ग्रहण करें और वह अपने पूर्ववर्ती की अविध के असमाप्त हिस्से अर्थात 31.01.2014 तक कार्यभार संभालेंगे।"

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

27365/178

(नरन्द्र (सह) अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

स्थान : पुणे

दिनांक : 07 दिसंबर 2012

टिप्पणियां

1. व्याख्यात्मक विवरण

बैठक के कार्य-व्यवहार के संबंध में भौतिक तथ्यों के आधार पर व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न हैं।

2. प्रॉक्सी की नियुक्ति

बैठक में भाग लेने और वोट करने के लिए पात्र शेयरधारक अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने और वोट करने के लिए प्रॉक्सी को नियुक्त करने के लिए हकदार होगा और यह आवश्यक नहीं कि यह प्रॉक्सी बैंक का शेयरधारक हो।

तथापि इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।

ऐसे किसी व्यक्ति को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जोकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कोई अधिकारी या कर्मचारी हो।

विनियम 70 (VI) के अनुसार प्रॉक्सी लिखत प्रदान करने वाला, जिस लिखत से वह संबंधित है, उस संबंध में बैठक में वैयक्तिक रूप से वोट करने के लिए पात्र नहीं होगा। प्रॉक्सी फॉर्म को प्रभावी बनाने के लिए बैठक के दिनांक से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात बैंक के कार्यसमय के समापन से पूर्व अर्थात शनवार 05 जनवरी 2013 को दोपहर 2.30 बजे तक बैंक के प्रधान कार्यालय में महाप्रबंधक, निवेशक सेवाएं विभाग, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005 के पते से अनिवार्य रूप से प्राप्त किए जाएं।

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई भी व्यक्ति तब तक किसी कंपनी या किसी निगमित निकाय, जोकि बैंक का शेयरधारक हो, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में असाधारण सामान्य बैठक में भाग नहीं ले सकता है या वोट नहीं कर सकता है, जब तक कि विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसे नियुक्त करने के संकल्प की प्रति बैठक के अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित न हो, जिसमें कि यह पारित किया गया हो कि बैठक के दिनांक से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात बैंक के कार्यमसय के समापन से पूर्व अर्थात शनिवार 05 जनवरी 2013 को दोपहर 2.30 बजे तक बैंक के प्रधान कार्यालय में महाप्रबंधक, निवेशक सेवाएं विभाग, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005 के पते पर जमा किए गए थे।

4. उपस्थिति पर्ची - सह प्रवेश पर्ची - सह मतदान पर्ची

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थित पर्ची - सह प्रवेश पर्ची - सह मतदान पर्ची इस सूचना के साथ संलग्न है। शेयरधारकों/ प्रॉक्सी धारकों/ प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि इसे भरें और इसमें दिए गए स्थान पर उनके हस्ताक्षर करें और इसे स्थल पर प्रस्तुत करें। शेयरधारकों के प्रॉक्सी/ प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित पर्ची - सह प्रवेश पर्ची - सह मतदान पर्ची पर यथामामला "प्रॉक्सी" या "प्राधिकृत प्रतिनिधि" उल्लेख करें।

मतदान के समय मतदान पर्ची प्राप्त करने के लिए मतदान पर्ची का हिस्सा स्थल पर प्रस्तृत किया जाए।

5. चुनाव में सहभागिता हेतु पात्रता के लिए शेयरधारकों के निर्धारण के प्रयोजन हेतु विनिर्दिष्ट दिनांक

जैसा कि दिनांक 27 नवंबर 2012 की सूचना के माध्यम से घोषित किया गया है, 29 नवंबर 2012 के समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया है, सूचना में उल्लेख किए गए अनुसार केन्द्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक निदेशक के निर्वाचन हेतु चुनाव में सहभागिता अर्थात नामांकित करने, चुनाव लड़ने और चुनाव में वोट करने के लिए पात्र शेयरधारकों के नाम के निर्धारण के प्रयोजनार्थ तथा असाधारण सामान्य बैठक के संबंध में विनिर्दिष्ट दिनांक के रूप में शुक्रवार 7 दिसंबर 2012 को निर्धारित किया गया है।



6. बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचन हेतु अपेक्षित अर्हता

- l. अधिनियम की धारा 9(3ए) के अनुसार बैंक का शेयरधारक कोई उम्मीदवार जो निदेशक बनने का इच्छुक है, उससे निम्नानुसार अपेक्षित है -
 - (क) उसे निम्नलिखित विषयों में से एक या अधिक के संबंध में विशिष्ट ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए :
 - कृषि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था
 - बैंकिंग
 - सहकारिता
 - अर्थशास्त्र
 - वित्त
 - विधि
 - लघु उद्योग
 - अन्य किसी भी विषय के संबंध में विशिष्ट ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के मतानुसार बैंक के लिए उपयोगी होगा
 - (ख) जमाकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करता हो, या
 - (ग) किसानों, श्रमिकों और कारीगरों के हित का प्रतिनिधित्व करता हो
- ॥. अधिनियम की धारा ९(३एए) के अनुसार बैंक का शेयरधारक कोई उम्मीदवार जो कि बैंक का निदेशक बनने का इच्छुक हो उसे 'उपयुक्त और उचित' (फिट एंड प्रॉपर) स्थिति में होना चाहिए। साथ ही, चुने गए निदेशक द्वारा प्रसंविदा का विलेख निष्पादित करना चाहिए और उनसे यह अपेक्षित है कि इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अनुसार वार्षिक घोषणा प्रस्तुत करें।

बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 के खंड 10 के अनुसार कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने तथा निदेशक बनने से अयोग्य ठहराया जाएगा -

- (क) यदि वह किसी समय दिवालिया करार कर दिया गया हो या उसने लेनदारों का भुगतान रोक रखा हो या इससे संबद्ध हो, या
- (ख) यदि वह अस्वस्थ दिमाग का पाया गया हो और किसी सक्षम न्यायालय ने इस बात की घोषणा की हो, या
- (ग) यदि किसी नैतिक भ्रष्टता से जुड़े अपराध में किसी न्यायालय ने उसे दोषी ठहराया हो, या
- (घ) यदि वह भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 3 की उपधारा 1 के अंतर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 3 में वर्णित किसी अनुषंगी बैंक में लाभ का पद धारित करता है, किंतु अपवाद स्वरूप वह अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (ङ) व (च) के अंतर्गत बैंक के नामित बैंक के कर्मचारियों में से प्रबंध निदेशक और निदेशकों को सम्मिलित करते हुए पूर्णकालिक निदेशक का पद छोड़कर धारित करता है तथा
- (ङ) यदि उसे भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 1 नवंबर 2007 की अधिसूचना क्र. डीबीओडी.क्र.बीसी.क्र.46 और 47/29.39.001/2007-08, व दिनांक 23 मई 2011 के अधिसूचना क्र. डीबीओडी.बीसी.क्र.95/29.39.001/2010-11 के अनुसार उचित और उपयुक्त व्यक्ति नहीं पाया गया।

निदेशक का कार्यकाल

बैंक के बोर्ड में उत्पन्न शेयरधारक निदेशक की रिक्ति को भरने के लिए चुने गए निदेशक को **28 दिसंबर 2012** से कार्यग्रहण करना माना जाएगा (यदि 27.12.2012 को नामांकनों की संवीक्षा के उपरांत यदि केवल एक वैध उम्मीदवार पाया गया)। यदि संवीक्षा के उपरांत एक से अधिक उम्मीदवार वैध पाए गए, तो एक निदेशक की रिक्ति को बैठक के दिनांक को भरा जाएगा और नए निदेशक **11 जनवरी 2013** को कार्यभार संभालेंगे।

योजना की धारा 11-बी (2) के अनुसार इस प्रकार चुना गया व्यक्ति अपने पूर्ववर्ती की अविध के असमाप्त हिस्से हेतु अर्थात 31 जनवरी 2014 तक कार्यभार संभालेंगे।

शेयरधारकों का ध्यान अधिनियम की धारा 9(3बी) की ओर आकर्षित किया जाता है जो कि आधिनियम की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत इस प्रकार चुने गए निदेशक जो कि उक्त अधिनियम धारा 9(3ए) के अनुसार आवश्यकताएं पूरी नहीं करता, को हटाने के भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकार से संबंधित है।

9. प्रतियोगी शेयरधारकों की सूची

बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर तथा बैठकें) विनियमावली 2004 के विनियम 64 में दी गई व्यवस्था के अनुसार शेयरधारकों को चुनाव लडने में मदद करने की दृष्टि से शेयरधारकों की निर्दिष्ट दिनांक अर्थात, शुक्रवार 7 दिसंबर 2012 तक अद्यतन सूची बैंक के प्रधान कार्यालय, निवेशक सेवाएं विभाग, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005 से उपलब्ध होगी। इसकी एक प्रतिलिपि, शुक्रवार, 14 दिसंबर 2012 से, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पुणे पर संदेय किसी भी अनुसूचित बैंक का रु.50,000/- (पचास हजार रुपए मात्र) का मांग ड्राफ्ट/ पे आर्डर जमा कर प्राप्त कर सकते हैं।

10. शेयरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण

शेयरधारकों का रजिस्टर भी बैंक के प्रधान कार्यालय में निरीक्षण के लिए सभी कार्यदिवसों पर (रिववार और बैंक अवकाश छोड़कर) अर्थात सोमवार से शुक्रवार को दोपहर 3.00 से सायं 5.00 बजे तक तथा शनिवार को प्रातः 11.00 से दोपहर 1.00 बजे तक उपलब्ध होगा। यदि कोई शेयरधारक रिजस्टर की अथवा इसके किसी भाग की प्रतियों की अथवा कंप्यूटर मुद्रित प्रतियों की मांग करता है, तो प्रतियां लिए जाने वाले प्रति हजार शब्दों या उसके अंश के निए रु.5.00 के पूर्व भुगतान पर उसे इसकी आपूर्ति की जाएगी.

11. चुनाव में सहभागिता

ऐसे शेयरधारक जिनके नाम **शुक्रवार 7 दिसंबर 2012** को एनएसडीएल/सीडीएसएल/आरडीए द्वारा प्रस्तुत अनुसार सदस्यों/लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में उपलब्ध हैं, वे केन्द्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों के बीच निदेशक के चुनाव में भाग लेने अर्थात, नामांकन, चुनाव लड़ने और मतदान करने के लिए पात्र हाँगे।

विनियम 68 के अनुसार बैठक के दिनांक से पूर्व विनिर्दिष्ट दिनांक (अर्थात **शुक्रवार 7 दिसंबर 2012**) को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक को एक वोट हाथ उठाकर देने का अधिकार होगा और मतदान की स्थिति में अधिनियम की धारा 3 (2ई) के अंतर्गत निर्धारित अनुसार मतदान के समग्र सीमा के अधीन उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट का अधिकार होगा।



12. चुनाव हेतु अभ्यर्थियों का नामांकन

बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर तथा बैठकें) विनियमावली 2004 के विनियम 65 के अनुसार तथा भारतीय रिजर्व बैंक अधिसूचना क्र. डीबीओडी क्र.बीसी.क्र.46 और 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 तथा क्र. डीबीओडी.बीसी.क्र.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23.05.2011 तथा विभिन्न अधिनियमों के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार निदेशक के रूप में निर्वाचन हेत् उम्मीदवार का नामांकन निम्न के अधीन वैध होगा :

- (क) उसकी शेयरधारक के रूप में धारिता **शुक्रवार 7 दिसंबर 2012** को चुनाव में सहभागिता हेतु निर्दिष्ट दिनांक के रूप में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में न्यूनतम 100 शेयर भौतिक रूप में या इलेक्ट्रॉनिक/ बेकागजीकृत रूप में होनी चाहिए और गुरुवार 10 जनवरी 2013 तक और यदि वह चुना जाता है तो उसके पश्चात न्यूनतम 100 शेयर उसके पास होने चाहिए।
- (ख) नामांकन प्राप्ति हेतु अंतिम दिनांक अर्थात **बुधवार 26 दिसंबर 2012** को बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर तथा बैठकें) विनियमावली 2004 के अनुसार तथा भारतीय रिजर्व बैंक अधिसूचना क्र.डीबीओडी क्र.बीसी.क्र.46 और 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 तथा क्र.डीबीओडी.बीसी.क्र.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23.05.2011 और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 या बैंककारी विनियम अधिनियम 1949 व राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 के अनुसार उसे निदेशक बनने से अयोग्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए।
- (ग) उसके द्वारा धारित शेयरों के संबंधों में कोई बकाया मांग नहीं होनी चाहिए।
- (घ) अधिनियम के अंतर्गत निदेशक का चयन करने के लिए पात्र कम से कम **एक सौ शेयरधारकों** या उनके द्वारा विधिवत गठित अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित नामांकन, बशर्ते कि एक कंपनी के रूप में शेयरधारकों द्वारा नामांकन उक्त कंपनी के निदेशकों द्वारा किए गए संकल्प से किया जा सकता है, और इस संकल्प की सत्य प्रति के रूप में बैठक, जिसमें कि यह पारित हुआ हो, के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित प्रति महाप्रबंधक, निवेशक सेवाएं विभाग, प्रधान कार्यालय, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005 को प्रेषित की जाएगी और ऐसी प्रति को इस प्रकार की कंपनी की ओर से नामांकन के रूप में माना जाएगा।
- (इ) शेयरधारकों (न्यूनतम 100) द्वारा नामांकन, उम्मीदवार के वैयक्तिक ब्यौरे सहित घोषणा के साथ होना चाहिए जो कि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या रिजर्व बैंक के अधिकारी या अन्य राजपत्रित अधिकारी या एश्योरेन्स के पंजीयक या उप पंजीयक, मैजिस्ट्रेट, न्यायाधीश, के समक्ष उम्मीदवार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित, इस सूचना में प्रस्तुत घोषणा और नामांकन के नमूने फॉर्म के अनुसार होना चाहिए और यह कि वह नामांकन स्वीकार करता है तथा चुनाव में खड़े रहने के लिए इच्छुक है और यह कि वह बैंककारी विनियम अधिनियम 1949 या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 व राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 या बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर तथा बैठकें) विनियमावली 2004 के अंतर्गत निदेशक बनने के अयोग्य नहीं किया गया है और यह कि उसने अपने वैयक्तिक ब्यौरे जो कि उसकी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है संलग्न किए हैं और यह कि वह घोषणा के अनुवर्तन में जानकारी से संगत कोई भी बात यथा संभव शीघ्र बैंक को पूर्णतः अवगत करने की वचनबद्धता करता है।
- (च) नामांकन फॉर्म और घोषणा फॉर्म विनियम द्वारा निर्धारित अनुसार तथा संलग्न प्रपत्र के अनुसार हैं (प्रपत्र बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर भी उपलब्ध है)।

13. नामांकन फॉर्मों का प्रस्तुतीकरण

शेयरधारकों में से बैंक के निदेशक के चुनाव में भाग लेने के इच्छुक शेयरधारक केन्द्र सरकार के अलावा तथा इसके अंतर्गत उल्लेख की गई शर्तों के अनुसार अर्हता प्राप्त शेयरधारक कृपया सूचना में संलग्न किए गए प्रपत्र में सीलबंद लिफाफे में जिस पर यह विशेष रूप से लिखा गया हो "शेयरधारक निदेशक हेतु नामांकन - ईजीएम 2013" महाप्रबंधक, निवेशक सेवाएं विभाग, प्रधान कार्यालय, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005 को हर तरह से पूर्ण संबंधित/ संगत प्रलेख सिहत असाधारण सामान्य बैठक हेतु निर्धारित दिनांक से कम से कम 14 दिन पूर्व अर्थात बुधवार 26 दिसंबर 2012 को बैंक के कार्यसमय के समापन अर्थात सायं. 5.00 बजे से पूर्व निम्नलिखित प्रस्तुत करें और ऐसा न करने पर नामांकनों को अस्वीकार किया जा सकता है:

- (क) विधिवत भरे हुए घोषणा फॉर्म
- (ख) चुनाव में भाग लेने के लिए पात्र न्यूनतम एक सौ शेयरधारकों से नामांकन
- (ग) वैयक्तिक जानकारी, घोषणा और वचनपत्र (पीडीयू फॉर्म) और इसके साथ संबंधित दस्तावेज, विवरण पत्र यथा बायोडाटा, शैक्षिक अर्हता, अनुभव आदि के प्रमाण पत्र

14. नामांकनों की संवीक्षा

- (i) नामांकनों की संवीक्षा नामांकनों के प्राप्त होने के लिए निर्धारित अंतिम दिनांक के आगामी पहले कार्यदिवस अर्थात **गुरूवार 27 दिसंबर 2012** को की जाएगी और कोई नामांकन वैध न पाए जाने की स्थिति में इसके कारणों को अभिलेखित करते हुए इसे अस्वीकृत किया जाएगा।
- (ii) वैयक्तिक जानकारी, घोषणा और वचनपत्र (पीडीयू फॉर्म) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिनांक 1 नवंबर 2007 तथा 23.05.2011 के 'उपयुक्त और उचित' दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा समुचित सावधानी जांच के अधीन रहेगी।
- (iii) चुनाव के द्वारा भरी जाने वाली रिक्ति के लिए यदि केवल एक नामांकन प्राप्त होता है तो इस प्रकार नामांकित उम्मीदवार को तत्काल प्रभाव से निर्वाचित माना जाएगा और उसका नाम और पता निर्वाचित के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में इस प्रयोजन हेतु आयोजित बैठक में कोई चुनाव नहीं होगा तथा असाधारण सामान्य बैठक निरस्त मानी जाएगी और उम्मीदवार **शुक्रवार 28 दिसंबर 2012** को कार्यभार ग्रहण करेगा।
- (iv) यदि वैध नामांकन, चयन किए जाने वाले निदेशकों की संख्या से अधिक है, तो उम्मीदवारों के नाम समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे और चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित माना जाएगा और उसका नाम अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक द्वारा घोषित किया जाएगा तथा समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जाएगा और उम्मीदवार शुक्रवार 11 जनवरी 2013 को कार्यभार ग्रहण करेगा।
- (V) यदि इस संबंध में कोई विवाद है तो इसका बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर तथा बैठकें) विनियमावली 2004 के विनियम 67 के अनुसार निपटान किया जाएगा।

15. नामांकनों को वापस लेना

यदि कोई उम्मीदवार अपने नामांकन को वापस लेना चाहता है, तो बैंक के समापन समय से पूर्व अर्थात **बुधवार 9 जनवरी 2013** को सायं 5.00 बजे से पहले किसी भी समय पत्र या फैक्स भेज कर उसे ऐसा करने का अधिकार होगा।



16. मतदान का अधिकार

अधिनियम की धारा 3(2ई) के प्रावधानों के अनुसार केन्द्र सरकार के अलावा समनुरूपी नए बैंक का कोई भी शेयरधारक उसके द्वारा धारित किसी भी शेयर के संबंध में बैंक के समस्त शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के एक प्रतिशत से अधिक से मतदान अधिकारों का इस्तेमाल करने का हकदार नहीं होगा।

उक्त के अधीन विनियम 68 के अनुसार प्रत्येक शेयरधारक जो कि बैठक के दिनांक से पूर्व निर्दिष्ट दिनांक (अर्थात शुक्रवार 7 दिसंबर 2012) को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत हुआ है, उसे एक वोट हाथ उठाकर देने का अधिकार होगा और मतदान की स्थित में अधिनियम की धारा 3 (2ई) के अंतर्गत निर्धारित अनुसार मतदान की समग्र सीमा के अधीन उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट का अधिकार होगा।

विनियमों के विनियम 10 के अनुसार यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है तो मतदान के संदर्भ में रिजस्टर में पहले नाम वाले व्यक्ति को एकल धारक माना जाएगा। अतः यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर है तो केवल पहले नाम वाले व्यक्ति को ही बैठक में भाग लेने का अधिकार होगा और बैठक में केवल उसी को मतदान करने का (मतदान या हाथ उठाने के द्वारा) अधिकार होगा।

17. पते में परिवर्तन

भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि यदि उनके पंजीकृत पते में कोई परिवर्तन है तो इसे बैंक के रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट को निम्न पते पर सुचित किया जाए -

मेसर्स एमसीएस लिमिटेड

यूनिट : बैंक ऑफ महाराष्ट्र

कार्यालय क्र.21/22, तल मंजिल

काशीराम जमनादास भवन, 5,पी.डिमेलो मार्ग (घडियाल गोदी) मस्जिद पूर्व, मुंबई - 400 009.

टेलीफोन - 022-2372 6253-56 फैक्स - 022-2372 6252

ई-मेल - mcspanvel@yahoo.co.in

जिन शेयरधारकों के पास शेयर इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में हैं उनसे अनुरोध है कि वे अपने पते में परिवर्तन हेत् अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपंट से संपर्क करें।

18. शेयर धारकों से अनुरोध है कि बैठक में सूचना की उनकी प्रतियां साथ लाएं

व्याख्यात्मक विवरण एक शेयरधारक निदेशक का निर्वाचन

निदेशक के निर्वाचन के हेतु शेयरधारकों के अधिकार

भारत सरकार के अलावा शेयरधारक बैंक की 21.05% शेयर पूंजी धारित करते हैं। बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) के अनुसार बैंक ऑफ महाराष्ट्र बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकतम दो शेयरधारकों के लिए पात्र है।

शेयरधारकों (केन्द्र सरकार के अलावा) द्वारा निर्वाचित दो निदेशकों श्री आनन्द कमलनयन पंडित तथा डॉ. दिनेश शांतिलाल पटेल का कार्यकाल 01.02.2011 से तीन वर्षों की अविध हेतु अर्थात 31.01.2014 तक प्रभावी है। इन दो निदेशकों में से एक श्री आनन्द कमलनयन पंडित ने बैंक के बोर्ड के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है और 18 जुलाई 2012 से वे बैंक के निदेशक नहीं है। अतः उक्त दिनांक से बैंक के बोर्ड पर शेयरधारक निदेशक की एक रिक्ति उत्पन्न हुई है।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 की धारा 11-बी(1) और (2) के अनुसार यदि किसी निर्वाचित निदेशक के कार्यालय की अविध के समापन से पूर्व कोई रिक्ति उत्पन्न होती है तो इसे निर्वाचन के द्वारा भरा जाएगा जहां कि रिक्ति की अविध छः माह से अधिक होती है। ऐसा निर्वाचित व्यक्ति उसके पूर्ववर्ती की अविध के असमाप्त हिस्से के लिए कार्यभार संभालेगा।

वर्तमान मामले में श्री आनन्द कमलनयन पंडित के त्यागपत्र से उत्पन्न रिक्ति की अविध 18 माह से अधिक है और इसलिए निदेशक मंडल ने श्री आनन्द कमलनयन पंडित के कार्यकाल की असमाप्त अविध अर्थात **31.01.2014** तक के लिए शेयरधारक निदेशक की रिक्ति को भरने और शेयरधारक निदेशक का कार्यभार ग्रहण करने के लिए एक शेयरधारक निदेशक के निर्वाचन हेत् असाधारण आम बैठक आयोजित करने का अनुमोदन दिया है। तदनुसार असाधारण आम बैठक दिनांक 10 जनवरी, 2013 को आयोजित की जा रही है।

अतः शेयरधारक (केन्द्र सरकार के अलावा) विभिन्न और संबंधित अधिनियम/ योजना/ विनियम/ अधिसूचना में दी गई प्रक्रिया के अनुसार उनके नामांकन भेजने के लिए पात्र हैं, जिनके संगत अंश नीचे दिए गए हैं।

अधिनियम/ योजना/ विनियम/ अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949	धारा 16 (1) धारा 20	 सामान्य निदेशकों का निषेध इसके किसी भी निदेशकों को या उनकी ओर से किसी को ऋण या अग्रिम प्रदान करने
	धारा 51	पर प्रतिबंध समनुरूपी नए बैंक को अधिनियमों की कतिपय धाराओं की प्रयोज्यता
बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970	धारा 3 (2ई) धारा 9(3)(i) धारा 9(3ए) (ए) से (सी) धारा 9(3एए)	 मतदान करने के अधिकार पर प्रतिबंध शेयरधारकों द्वारा चयन किए जाने वाले निदेशकों की संख्या कितपय क्षेत्रों में विशिष्ट ज्ञान कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि पूर्व अभिलेख, सत्यनिष्ठा और ऐसे अन्य मानदंडों के अधीन, जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक निर्धारित करे, उसे उपयुक्त तथा उचित स्थिति का व्यक्ति न माना जाए
	धारा 9(3 एबी) धारा 9 (3बी)	 इस प्रकार चयनित निदेशक, जो कि उक्त अधिनियम की धारा 9(3) और 9(3 एए) की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता, उसे हटाने का भारतीय रिज़र्व बैंक का अधिकार निष्ठा और गोपनीयता की बाध्यता



राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर तथा बैठकें) विनियम, 2004	खंड 9(4) खंड 10 खंड 11 खंड 11ए खंड 11वी खंड 12(8) विनियम 10 विनियम 61 विनियम 61 विनियम 65 विनियम 65 विनियम 66 विनियम 67 विनियम 68 विनियम 68	 चयनित निदेशकों की कार्यालय अवधि बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने की अयोग्यता निदेशक के कार्यालय की रिक्ति चयनित निदेशक के कार्यालय की रिक्ति चयनित निदेशक के कार्यालय की रिक्तियों को भरना चयनित निदेशक के कार्यालय की रिक्तियों को भरना कतिपय व्यवस्थाओं में निदेशकों द्वारा, जिनके लिए वे इच्छुक हैं, हितों का विगोपन संयुक्त धारकों के अधिकारों का निष्पादन मतदान पर सामान्य बैठक संवीक्षक की वोटिंग चुनाव में परीक्षक मतदान आयोजित करने की पद्धित और इसके परिणाम निदेशक सामान्य बैठकों में चुने जाएंगे शेयरधारकों की सूची निर्वाचन हेतु उम्मीदवारों का नामांकन नामांकनों की संवीक्षा निर्वाचन से संबंधित विवाद मतदान अधिकारों का निर्धारण विधिवत प्रािधकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान प्रॉिक्सयां
भारतीय रिजर्व बैंक अधिसूचना क्र. डीबीओडी क्र.बीसी.क्र.46 और 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 तथा क्र. डीबीओडी. बीसी.क्र.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23.05.2011	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 बैंकिंग की धारा 9(उएए) व धारा 9(उएबी) के अनुसरण में	राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड पर चयनित निदेशकों हेतु उपयुक्त तथा उचित मानदंड

शेयरधारकों की सुविधा के लिए विनियम अधिनियम, अधिनियम, योजना और साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक अधिसूचना क्र.डीबीओडी.क्र.बीसी.क्र.46 और 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 तथा क्र. डीबीओडी. बीसी.क्र.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23.05.2011 इसके साथ संलग्न हैं।

नामांकनों की संवीक्षा के उपरांत एक निदेशक को निर्वाचित किया जाएगा या निर्वाचित माना जाएगा, (यदि वैध नामांकनों की संख्या रिक्तियों के समान है) तथा उनके द्वारा 28 दिसंबर 2012 से अथवा यदि उम्मीदवार अधिक हैं, तो 10 जनवरी 2013 से अनुवर्ती चुनाव से कार्यभार संभाला जाएगा । ऐसे निर्वाचन के उपरांत उनके द्वारा 11 जनवरी 2013 से कार्यभार संभाला जाएगा और इनमें से किसी भी मामले में उनके द्वारा उनके पूर्ववर्ती की अविध के असमाप्त हिस्से अर्थात 31.01.2014 तक कार्यभार संभाला जाएगा।

निदेशकों का हित

बैंक का कोई भी निदेशक और बैंक के ऐसे पात्र निदेशक जो निर्वाचन में हिस्सा ले सकते हैं, उनकी शेयरधारिता की सीमा के अतिरिक्त, कार्य-व्यवहार के ऊपर उल्लेख किए गए मद के प्रति हित या संबंध नहीं रखते हैं।

स्थान : पुणे

दिनांक : 07 दिसंबर 2012

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

(नरेन्द्र सिंह)

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

निदेशकों का निर्वाचन

संबंधित अधिनियमों, योजना तथा विनियमों आदि के उद्धरण

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949

सामान्य निदेशकों का निषेध- धारा 16 (1)

भारत में कोई भी बैंकिंग कंपनी अपने निदेशक मंडल में ऐसे किसी व्यक्ति को निदेशक के रूप में नहीं ले सकती जो किसी अन्य बैंक में निदेशक हो। ऋण और अग्रिमों पर प्रतिबंध - धारा 20

- 1. कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 77 में किसी बात के अन्यथा होते हुए भी कोई बैंकिंग कंपनी
 - क. अपने ही शेयरों की प्रतिभूति पर कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं करेगी अथवा
 - ख. निम्नलिखित को या उसकी ओर से न तो किसी प्रकार का ऋण या अग्रिम प्रदान करेगी और न ही वचनबद्धता करेगी
 - i. अपने किसी निदेशक
 - ii. कोई भी फर्म जिसमें उसका कोई निदेशक किसी साझेदार, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटीदाता के रूप में हित रखता हो या
 - iii. कोई ऐसी कंपनी, जो बैंक की अनुषंगी न हो या कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत हो या सरकारी कंपनी हो (या जिसकी अनुषंगी या जिसकी धारक कंपनी), जिसमें बैंकिंग कंपनी का कोई निदेशक प्रबंधक, कर्मचारी या निदेशक अथवा गारंटीदाता हो या जिसमें यह पर्याप्त रूप से हितबद्ध हो अथवा
 - iv. ऐसा कोई व्यक्ति जिससे उसका कोई निदेशक साझेदार या गारंटीदाता के रूप में हितबद्ध हो



- अगर किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा मंजूर ऋण या अग्रिम इस प्रकृति का है कि जिस दिन ऋण या अग्रिम प्रदान किया गया था उस तिथि को उपधारा (1) के खंड (ख) के लागू होने की स्थिति में उसे मंजूर करने का वचन नहीं दिया जा सकता था अथवा वह किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम 1968 (1968 का 58) की धारा 5 के आरंभ के पूर्व हुई वचनबद्धता के अनुसरण में मंजूर किया गया हो तो बैंकिंग कंपनी को मूल रकम पर देय ब्याज, यदि कोई हो, सहित ऋण या अग्रिम देते समय निर्धारित अवधि के भीतर या जहाँ ऐसी कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई हो वहाँ उक्त धारा 5 के प्रारंभ से एक वर्ष पुरा होने के पूर्व वसली हेत उपाय किए जाने चाहिए।
 - बशर्ते कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग कंपनी द्वारा इस संदर्भ में उसके पास किए गए लिखित आवेदन पर किसी मामले में ऋण या अग्रिम की वसूली अवधि को ऐसी तिथि तक बढ़ा सकता है जो उपर्युक्त धारा 5 के प्रारंभ होने से तीन वर्ष से अधिक की अवधि की तिथि न हो। यह विस्तार ऐसी शर्तों और नियमों के अधीन होगा जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक उचित समझे।
 - यह भी शर्त है कि यह उपधारा संबंधित निदेशक की मृत्यू, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या अन्य किसी कारण से बैंकिंग कंपनी के निदेशक का पद रिक्त करने पर लागू नहीं होती है।
- उपधारा (2) या उसके किसी भी भाग में उल्लिखित कोई भी ऋण या अग्रिम भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना भेजा नहीं जाएगा तथा ऐसे अनुमोदन के बिना किया गया कोई भी प्रेषण अमान्य व अप्रभावी होगा।
- जहाँ उपधारा (2) में संदर्भित कोई ऋण या अग्रिम किसी भी व्यक्ति द्वारा देय हो तो उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर बैंकिंग कंपनी को चकौती न की जाने की स्थिति में ऐसे व्यक्ति को उक्त अवधि की समाप्ति की तिथि को बैंकिंग कंपनी का निदेशक होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि जैसे उसने अपना पद रिक्त कर दिया हो।

इस धारा में व्याख्या -

- क. ''ऋण या अग्रिम'' में कोई भी ऐसा संव्यवहार शामिल नहीं होगा जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक संव्यवहार के स्वरूप, उक्त संव्यवहार के कारण देय होने वाली किसी भी रकम की वसूली के संभावित समय व उसकी विधि तथा परिस्थितियों, जमाकर्ताओं के हितों और प्रासंगिक प्रतिफलों पर विचार करते हुए इस धारा के प्रयोजन हेतु ऋण या अग्रिम न होने का सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा उल्लेख कर सकें।
- ''निदेशक'' से तात्पर्य प्रबंध करने के उद्देश्य से अथवा प्रबंधन को उसके सभी या किसी कार्य के संबंध में सलाह देने के उद्देश्य से भारत में बैंकिंग कंपनी द्वारा गठित किसी मण्डल या समिति का सदस्य।
- अगर ऐसा कोई प्रश्न उठता है कि इस धारा के उद्देश्य के लिए कोई संव्यवहार ऋण है अथवा अग्रिम तो मामला भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रेषित किया जाएगा और इस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।
 - बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की **धारा 51** समनुरूपी नए बैंक हेतु बैंकिंग विनियमन अधिनियम की कतिपय धाराओं की प्रयोज्यता का उल्लेख करती है।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970

मताधिकार पर प्रतिबंध - धारा 3 (2 ड.)

केंद्र सरकार को छोडकर समनुरूपी नए बैंक का कोई भी शेयरधारक उक्त समनुरूपी नए बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के लिए एक प्रतिशत से अधिक उनके द्वारा धारित किसी शेयर के संबंध में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा।

निदेशक मंडल का गठन - धारा 9 (3) (i)

जहाँ धारा 3 की उपधारा (2ख) के खंड (ग) के अंतर्गत पूँजी जारी की गई है-

- कुल प्रदत्त पूँजी के सोलह प्रतिशत से अधिक नहीं, एक निदेशक से अधिक नहीं।
- कुल प्रदत्त पूँजी के सोलह प्रतिशत से अधिक किंतु बत्तीस प्रतिशत से अधिक नहीं, दो निदेशकों से अधिक नहीं।
- III. कुल प्रदत्त पूँजी के बत्तीस प्रतिशत से अधिक, तीन निदेशकों से अधिक नहीं।

केंद्र सरकार को छोड़कर अन्य शेयरधारकों द्वारा अपने बीच से ही निर्वाचन करना होगा।

बशर्ते कि इस खण्ड के अंतर्गत ऐसे किसी निदेशक के निर्वाचन के बाद कार्यभार ग्रहण करने पर इस योजना में विशिष्ट रूप से दिए गए अनुसार खंड (ज) के अंतर्गत नामित निदेशकों को समसंख्या में निवृत्त होना चाहिए।

बशर्ते यह भी कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) तथा वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 के प्रारंभ पर या उससे पूर्व, एक समनुरूपी नए बैंक में, निर्वाचित निदेशकों की संख्या उप-खंड (I) या उप-खंड (II) या उप-खंड (III), में निर्दिष्ट निदेशकों की संख्या से अधिक होने की स्थित में, जैसी भी स्थिति हो, ऐसे प्रारंभ से पूर्व निर्वाचित ऐसी अधिक संख्या वाले निदेशक, योजना में निर्दिष्ट की गई प्रक्रिया के अनुसार सेवानिवृत्त होंगे और ऐसे निदेशक अपने कार्यकाल से पूर्व निवृत्त होने के लिए किसी क्षतिपूर्ति का दावा करने हेतु पात्र नहीं होंगे।

कतिपय क्षेत्रों में विशेष योग्यता - धारा 9(3 क)

खंड (झ) के अंतर्गत निर्वाचित किए जाने वाले निदेशक -

- क. निम्नलिखित विषयों में से एक या एक से अधिक विषयों के संबंध में विशेष योग्यता या व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हों-
 - कृषि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था i.
 - बैंकिंग Ϊ.
 - सहकारिता
 - अर्थशास्त्र iv.
 - वित्त ٧.
 - ۷İ. विधि
 - vii. लघु उद्योग



- viii. किसी अन्य विषय में विशेष ज्ञान, व्यावहारिक अनुभव, जो भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में समनुरूपी नए बैंक के लिए उपयोगी हो
- ख. जमाकर्ताओं के हित का प्रतिनिधत्व करें या
- ग. किसानों, कामगारों और कारीगरों के हित का प्रतिनिधत्व करे

उपयुक्त और उचित स्थिति

धारा - 9(3 कक)

उपधारा (उए) के प्रावधानों पर किसी पूर्वाग्रह के बिना और इस अधिनियम व फिलहाल प्रचिलत किसी अन्य कानून में विपरीत समाहित किसी बात पर विचार किए बिना, कोई भी व्यक्ति उपधारा (3) के खंड (झ) के अंतर्गत निदेशक के रूप में निर्वाचन हेतु पात्र नहीं होगा जब तक कि वह पूर्व-वृत्त, ईमानदारी और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस संबंध में समय-समय पर सूचित किए ऐसे अन्य मापदंड के आधार पर उपयुक्त और उचित स्थिति न रखता हो।

धारा - 9(3कख)

भारतीय रिज़र्व बैंक उपधारा (उकक) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में, उपयुक्त और उचित स्थिति के निर्धारण हेतु प्राधिकारी, ऐसे निर्धारण का प्रकार, ऐसे निर्धारण हेतु अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और ऐसे अन्य मामले, जो उसमें आवश्यक या प्रासंगिक माने गए हों, निर्दिष्ट कर सकता है।

किसी निदेशक को हटाने का भारतीय रिज़र्व बैंक का अधिकार - धारा 9(3ख)

जहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में समनुरूपी नए बैंक में उपधारा (3) के खंड (झ) के अंतर्गत निर्वाचित कोई निदेशक उपधारा 3(क) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है तो वह, ऐसे निदेशक तथा बैंक को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद आदेश द्वारा ऐसे निदेशक को हटा सकता है और इस प्रकार हटाए जाने पर, अगली वार्षिक सामान्य बैठक में समनुरूपी नए बैंक के शेयरधारकों द्वारा एक निदेशक को समुचित रूप से निर्वाचित किए जाने तक निदेशक मंडल उपधारा (3क) की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे हटाए गए व्यक्ति के स्थान पर निदेशक की तरह सह-विकल्प के रूप में लेगा और यह माना जाएगा कि ऐसा सह-विकल्प के रूप में लिया गया व्यक्ति समनुरूपी नए बैंक के शेयरधारकों द्वारा निदेशक के रूप में समृचित रूप से निर्वाचित किया गया है।

निष्ठा एवं गोपनीयता का दायित्व - धारा 13(2)

प्रत्येक निदेशक, स्थानीय बोर्ड या किसी समिति का सदस्य, समनुरूपी नए बैंक के लेखा परीक्षक, सलाहकार, अधिकारी या अन्य कर्मचारी अपना पदभार ग्रहण करने से पूर्व तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट फार्म में निष्ठा व गोपनीयता की घोषणा करेंगे।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना, 1970

निर्वाचित निदेशक का सेवाकाल - खंड 9(4)

निर्वाचित निदेशक तीन वर्षों के लिए पद पर रहेगा और पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा

बशर्ते कि ऐसा कोई निदेशक लगातार छः वर्षों के लिए पद धारित नही करेगा

निदेशकों हेत् अयोग्यता - खंड 10

किसी व्यक्ति को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने और निदेशक बनने से अयोग्य ठहराया जाएगा

- क. यदि वह व्यक्ति किसी समय दिवालिया करार दिया गया हो या उसने लेनदारों का भुगतान रोक रखा हो या इससे संबद्ध हो
- ख. वह अस्वस्थ दिमाग का पाया गया हो और किसी सक्षम न्यायालय ने इस बात की घोषणा की हो या
- ग. यदि किसी नैतिक चरित्रहीनता से जुड़े अपराध में किसी न्यायालय ने उसे दोषी ठहराया हो
- घ. यदि वह भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 3 में वर्णित किसी अनुषंगी बैंक में लाभ का पद धारित करता हो किंतु अपवादस्वरूप वह अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के (इ.) व (च) खंडों के अंतर्गत नामित निदेशकों और प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशक का पद छोड़कर कोई अन्य पद धारित करता हो।

निदेशक का पद रिक्त होना - खंड 11

- यदि कोई निदेशक खंड 10 में विनिर्दिष्ट किन्ही अनर्हताओं के अधीन आता है या बोर्ड से अनुमित लिए बिना लगातार तीन से अधिक बैठकों में अनुपस्थित रहता हो तो उसके संबंध में यह माना जाएगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है और तदुपरांत वह पद रिक्त हो गया है।
- 2. अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (ख) या खण्ड (ग) में संदर्भित अध्यक्ष अथवा पूर्णकालिक निदेशक सहित प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक, केंद्र सरकार को लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकता है और ऐसा त्यागपत्र केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत होने पर यह माना जाएगा कि वह पद रिक्त हो गया है और अन्य कोई निदेशक लिखित रूप से केंद्र सरकार को लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकता है और ऐसा त्यागपत्र केंद्र सरकार द्वारा त्यागपत्र के संप्रेषण की प्राप्ति से प्रभावी होगा।
- 3. उपरोक्त उपखण्डों के प्रावधानों के प्रति कोई पूर्वाग्रह के बिना अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खण्ड (इ.) और (च) में संदर्भित निदेशक का पद उक्त राष्ट्रीयकृत बैंक, जिसका वह निदेशक है, के कर्मचारी के अलावा कामगार या कर्मचारी के रूप में सेवानिवृत्त होते ही रिक्त हो जाएगा।
- 4. जहाँ निर्वाचित निदेशक के अलावा, निदेशक के पद की कोई रिक्ति हो जाती है तो वह अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अनुसार भरी जाएगी।

निर्वाचित निदेशक को पद से हटाना - खंड 11 क

केंद्र सरकार को छोड़कर अन्य शेयरधारक, ऐसे सभी शेयरधारकों द्वारा धारित कुल शेयर पूँजी का कम से कम आधा भाग धारित करने वाले शेयरधारकों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (झ) के तहत निर्वाचित किसी निदेशक को हटा सकते हैं और उसके स्थान पर रिक्ति को भरने हेतु दूसरे व्यक्ति को निर्वाचित कर सकते हैं।



निर्वाचित निदेशक के पद की रिक्ति भरना - खंड 11 ख

- जहाँ किसी निर्वाचित निदेशक के कार्यकाल की अविध की समाप्ति से पहले कोई रिक्ति होती है तो रिक्ति निर्वाचन द्वारा भरी जाएगी।
 बशर्ते कि जहाँ रिक्ति की अविध छः मिहनों से कम रहने की संभावना है वहाँ शेष निदेशकों द्वारा उक्त रिक्ति भरी जा सकती है
- 2. उपखंड (1) के अंतर्गत, मामले के अनुसार, निर्वाचित या सह-नियुक्त व्यक्ति अपने पूर्वाधिकारी के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए पदग्रहण करेगा।

निदेशकों द्वारा हितों की घोषणा - खंड 12(8)

राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा या उसकी ओर से की गई या प्रस्तावित किसी संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध या हित रखनेवाला कोई निदेशक संबंधित परिस्थितियों का ज्ञान होने के बाद यथाशीघ्र मंडल को अपने हित का स्वरूप घोषित करेगा और जब तक कोई सूचना प्राप्त करने के लिए अन्य निदेशकों द्वारा उसकी उपस्थित की अपेक्षा नहीं को जाएगी तब तक वह ऐसी संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव पर चर्चा करते समय मंडल की बैठक में उपस्थित नहीं होगा और इस तरह ऐसा कोई निदेशक उपस्थित रहने पर ऐसी संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव पर मतदान नहीं करेगा।

बशर्ते कि इस उपखंड में दी गई कोई भी बात ऐसे निदेशकों पर मात्र इसलिए लागू नहीं होगी कि वह-

- ं कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) में पिरभाषित किसी सार्वजिनक कंपनी या भारत में तत्समय लागू किसी विधि द्वारा या उसके अंतर्गत स्थापित किसी निगम या किसी सरकारी सिमित में जिसके साथ या जिसमें उक्त राष्ट्रीयकृत बैंक की कोई संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव किया हो या करने का प्रस्ताव रखता हो, प्रदत्त पूँजी का दो प्रतिशत धारित करने वाला शेयरधारक (निदेशक के अलावा) है, या
- ii. राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी या अन्य कर्मचारी यदि इस अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (ड.) या (च) के अधीन नियुक्त निदेशक है

बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर तथा बैठकें) विनियमावली 2004

संयुक्त धारकों के अधिकारों का निष्पादन

विनियम 10

यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम से है, तो शेयरों के अंतरण को छोड़कर मतदान, लाभांश की प्राप्ति, सूचनाएं भेजना और बैंक ऑफ महाराष्ट्र से संबंधित ऐसे सभी या किसी भी मामले के संबंध में रजिस्टर में लिखे गए पहले नाम वाले व्यक्ति को उसका एकल धारक माना जाएगा।

आम बैठक में चुने जाने वाले निदेशक

विनियम 63

- 1. अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (झ) के अधीन बैंक ऑफ महाराष्ट्र की सामान्य बैठक में केंद्र सरकार को छोड़कर रिजस्टर में दर्ज शेयरधारकों द्वारा अपने में से ही निदेशक चून लिया जाएगा।
- जहाँ किसी सामान्य बैठक में निदेशक का चुनाव होने वाला हो, जिसका नोटिस बैठक के आयोजन संबंधी नोटिस में ही जोड़ दिया जाएगा, इस प्रकार के हर नोटिस में चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या और रिक्तियों के विवरण, जिसके लिए चुनाव होने वाला हो, भी दिए जाएंगे।

शेयरधारकों की सूची

विनियम ६४

- i. इन विनियमों के विनियम 63 के उप विनियम (i) के अधीन निदेशक के चुनाव हेतु रजिस्टर से उन शेयरधारकों की एक सूची तैयार की जाएगी, जिनके द्वारा निदेशक का चुनाव किया जाना है।
- ii. इस सूची में शेयरधारकों के नाम, उनके पंजीकृत पते, उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या और विनिर्दिष्ट संख्या, शेयरों को पंजीकृत करने की तारीख और उस बैठक के लिए निर्धारित तारीख जिसमें यह चुनाव होगा, उस बैठक में जितने मतों के लिए वे हकदार होंगे उन मतों की संख्या आदि शामिल होंगे और इस सूची की प्रतियाँ खरीदे जाने हेतु, बैठक के लिए निर्धारित तारीख से कम से कम तीन सप्ताह पहले से निदेशक मंडल या प्रबंधन सिमित द्वारा निर्धारित मूल्य पर, प्रधान कार्यालय से आवेदन करने पर, उपलब्ध कराई जाएगी।

चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन

विनियम ६५

- निदेशक के रूप में चुनाव के लिए किसी उम्मीदवार का नामांकन तभी वैध होगा जब,
 - (क) वह बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कम से कम 100 (एक सौ) शेयर रखनेवाला शेयरधारक हो
 - (ख) उसे नामांकन प्राप्त करने की अंतिम दिनांक को अधिनियम के अधीन या योजना के अधीन निदेशक बनने के लिए अयोग्य न ठहराया गया हो
 - (ग) उसने अपने द्वारा, चाहे अकेले या अन्यों के साथ संयुक्त रूप से, धारित बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरों के संबंध में मांग राशि अदा करने के लिए निश्चित अंतिम दिनांक को या उससे पूर्व मांग राशि अदा कर दी हो।
 - (घ) नामांकन, इस अधिनियम के अधीन निदेशकों को चुनने का अधिकार रखने वाले कम से कम एक सौ शेयरधारकों या उनके द्वारा विधिवत संगठित अधिवक्ता (अटॉर्नी) द्वारा हस्ताक्षरित लिखित रूप में हों बशर्ते कि कोई शेयरधारक, जो एक कंपनी हो, कथित कंपनी के निदेशकों के संकल्प द्वारा नामांकन किया जा सकेगा और जहाँ ऐसा किया जाता हो वहाँ जिस बैठक में उक्त संकल्प पारित किया गया हो उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा संकल्प की प्रति को सत्य प्रति के रूप में सत्यापित कर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रधान कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा और उक्त प्रति को संबंधित कंपनी की ओर से नामांकन माना जाएगा।
 - (ङ) नामांकन में या उसके साथ उम्मीदवार द्वारा किसी न्यायाधीश, एश्योरेंस के पंजीयक या उप पंजीयक या किसी अन्य राजपित्रत अधिकारी या भारतीय िरज़र्व बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित इस आशय का एक घोषणापत्र हो कि वह नामांकन स्वीकार करता है और चुनाव के लिए खड़े होने का इच्छुक है और यह कि उसे अधिनियम के तहत या योजना या इन विनियमों के तहत निदेशक बनने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया है।



(च) कोई नामांकन तब तक वैध नहीं माना जाएगा जब तक कि वह हर तरह से पूर्ण सभी संबंधित दस्तावेज सहित बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रधान कार्यालय में बैठक के लिए निश्चित दिनांक से पहले चौदह दिनों के भीतर किसी कार्य दिवस को प्राप्त नहीं होता।

नामांकनों की संवीक्षा

विनियम 66

- i. नामांकनों के प्राप्ति के निश्चित दिनांक के पश्चात प्रथम कार्य दिवस को उनकी संवीक्षा की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाता है तो उसका कारण दर्ज करने के बाद उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। यदि चुनाव द्वारा भरे जाने वाले किसी विशेष रिक्त स्थान के लिए एक ही वैध नामांकन प्राप्त हो तो इस तरह से नामांकित उम्मीदवार को तत्काल प्रभाव से निर्वाचित माना जाएगा और उसका नाम व पता निर्वाचित के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में इस प्रयोजन हेतु आयोजित बैठक में कोई चुनाव नहीं होगा और यदि बैठक उपर्युक्त चुनाव के प्रयोजन से ही बुलाई गई हो तो वह रदद हो जाएगी।
- ii. चुनाव होने की स्थिति में, यदि वैध नामांकन चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या से अधिक हों तो जिस उम्मीदवार को अधिकतम मत मिलेंगे उसे निर्वाचित माना जाएगा।
- iii. वर्तमान रिक्त स्थान भरने के लिए निर्वाचित निदेशक के लिए यह मान लिया जाएगा कि उसने निर्वाचित होने या निर्वाचित माने जाने के दिन से अपना पदभार ग्रहण कर लिया है।

चुनाव संबंधी विवाद

विनियम 67

- i. निर्वाचित माने गए या घोषित व्यक्ति की योग्यता या अयोग्यता अथवा किसी निदेशक के चुनाव की वैधता के संबंध में यदि कोई संदेह या विवाद उठाया गया है तो कोई इच्छुक व्यक्ति, जो ऐसे चुनाव में उम्मीदवार या मतदान का अधिकार रखने वाला शेयरधारक हो, ऐसे चुनाव के परिणाम की घोषणा के दिनांक से 7 दिनों के भीतर इसकी लिखित सूचना बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक को भेज सकता है और ऐसी सूचना में उन सभी आधारों का संपूर्ण ब्योरा दे जिन की वजह से उस चुनाव की वैधता पर संदेह या विवाद उठाया गया हो।
- ii. उप विनियम (i) के तहत सूचना की प्राप्ति पर, इसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक, ऐसे निर्णय पर संदेह या विवाद को अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक व अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (ख) और (ग) के तहत नामित दो निदेशकों से बनी समिति को संदर्भित करेंगे।
- iii. उप विनियम (ii) में संदर्भित सिमिति आवश्यकतानुसार जाँच करेगी और यिद वह पाती है कि चुनाव वैध चुनाव था तो वह घोषित परिणाम की पुष्टि करेगी या यिद वह पाती है कि चुनाव वैध चुनाव नहीं था तो वह जाँच आरंभ करने के दिनांक से 30 दिनों के भीतर पुनः चुनाव कराने का आदेश बनाएगी और नए चुनाव कराने सिहत ऐसे अनुदेश देगी जो सिमिति को उस परिस्थिति में न्यायसंगत प्रतीत हों।
- iv. इस विनियम के अनुसरण में ऐसी समिति के आदेश और निर्देश अंतिम होंगे।

शेयरधारकों के मतदान अधिकार

मतदान अधिकारों का निर्धारण

विनियम 68

- i. अधिनियम की धारा 3 (2ङ) में निहित उपबंधों में प्रत्येक शेयरधारक, जिसका सामान्य बैठक के दिनांक से पूर्व रजिस्टर बंद होने के दिनांक तक शेयरधारक के रूप में पंजीकरण हुआ हो वह ऐसी बैठक में हाथ उठाकर एक मत और मतदान होने की स्थिति में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत दे सकेगा।
- ii. अधिनियम की धारा 3 (2ङ) में निहित उपबंधों में प्रत्येक शेयरधारक जो उपर्युक्त कथन के अनुसार व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का हक रखता है और जो कि एक कंपनी न हो व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी के जरिए उपस्थित हो या जो एक कंपनी हो तो विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से या प्रॉक्सी के माध्यम से उपस्थित हो तो प्रत्येक शेयरधारक हाथ उठाकर एक मत दे सकेगा और मतदान होने की स्थिति में ऊपर विनियम (i) में दर्शाए अनुसार उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत दे सकेगा। व्याख्या - इस अध्याय के लिए "कंपनी" से आशय कोई निगमित निकाय है।
- iii. आम बैठक में भाग लेने और मतदान करने का अधिकार रखने वाले बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरधारक उनके बदले में बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए अपने प्रॉक्सी के रूप में किसी और व्यक्ति को (चाहे शेयरधारक हो या नहीं) नियुक्त करने का अधिकार रखते हैं परंतु इस तरह नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का हक नहीं होगा।

विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान

विनियम 69

- i. ऐसा शेयरधारक, जो केंद्र सरकार या एक कंपनी हो, मामले के अनुसार, संकल्प द्वारा किसी सामान्य बैठक में प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए अपने किसी पदाधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकता है और इस तरह प्राधिकृत व्यक्ति को (इन विनियमों में "विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि" के रूप में संदर्भित) केंद्र सरकार या कंपनी, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता हो, की तरफ से उन सभी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार होगा जैसे कि वह बैंक ऑफ महाराष्ट्र का व्यक्तिगत शेयरधारक हो। इस तरह दिया गया प्राधिकार वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के पक्ष में हो सकता है और ऐसे मामले में इनमें से कोई व्यक्ति केंद्र सरकार/ कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता है।
- ii. कोई भी व्यक्ति तब तक कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरधारकों की किसी बैठक में भाग नहीं ले सकेगा और मतदान नहीं कर सकेगा, जब तक कि उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करते हुए जिस बैठक में संकल्प पारित किया गया है, उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा संकल्प की प्रति को सत्य प्रति के रूप में सत्यापित कर उसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रधान कार्यालय को बैठक के लिए निश्चित तिथि से चार दिन पहले जमा नहीं कर दिया जाता।



प्रॉक्सियाँ

विनियम 70

- (i) प्रॉक्सी तब तक वैध नहीं होगा, जब तक कि एकल शेयरधारक की स्थिति में उसके द्वारा स्वयं या लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके अधिवक्ता (अटॉर्नी) द्वारा हस्ताक्षरित न हो, या संयुक्त धारकों की स्थिति में, यह रजिस्टर में लिखे गए पहले नाम वाले शेयरधारक द्वारा या लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके अधिवक्ता (अटॉर्नी) द्वारा हस्ताक्षरित न हो या निगमित निकाय की स्थिति में इसके अधिकारी द्वारा या उसके लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत अधिवक्ता (अटॉर्नी) द्वारा हस्ताक्षरित न हो।
 - प्रॉक्सी का एक लिखत, ऐसे शेयरधारक द्वारा जो किसी कारणवश, अपना नाम लिखने में असमर्थ हो, उनके द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित माना जाएगा यदि उसका चिन्ह वहाँ अंकित हो और उसे किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, एश्योरेंस के पंजीयक या उप पंजीयक या अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या बैंक ऑफ महाराष्ट्र के किसी अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित किया गया हो।
- (ii) कोई भी प्रॉक्सी तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि उस पर यथोचित रूप से स्टाम्प न लगे हों और मुख्तारनामा या किसी अन्य प्राधिकार की प्रति के साथ, जिसके अंतर्गत उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं, की एक प्रति या उस मुख्तारनामे या किसी अन्य प्राधिकार की नोटरी पिल्लिक या मिजस्ट्रेट द्वारा सत्य प्रति के रूप में प्रमाणित एक प्रति, जो पूर्व में ही बैंक के पास जमा और पंजीकृत हो, बैठक के लिए निर्धारित दिनांक से कम से कम चार दिन पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा न करा दी जाए।
- (iii) प्रॉक्सी का कोई भी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि वह फॉर्म ''बी'' में न हो।
- (iv) बैंक के पास जमा प्रॉक्सी का कोई भी लिखत अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा।
- (v) वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों को प्रदत्त प्रॉक्सी की स्थिति में, एक से अधिक फॉर्म निष्पादित न किए जाएं।
- (vi) इस विनियम के अंतर्गत प्रॉक्सी प्रदान करने वाले व्यक्ति को उस बैठक में व्यक्तिशः वोट करने का अधिकार नहीं होगा, जिस बैठक के लिए वह प्रॉक्सी प्रदान किया हो।

कोई भी व्यक्ति जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कर्मचारी या अधिकारी हो वह विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या एक प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 1 नवंबर 2007 की अधिसूचना डीबीओडी.क्र.बीसी. क्र.46/ 29.39.001/2007-08 और डीबीओडी.क्र 47/29.39.001 व दिनांक 23 मई 2011 की अधिसूचना डीबीओडी. क्र. बीसी.क्र.95/29.39.001/2010-11

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नानुसार अधिसूचित किया है-

कोई भी नामांकन तब तक वैध नहीं माना जाएगा जब तक कि उसे इस उद्श्य के लिए बैंक के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त नामांकन समिति द्वारा "उपयुक्त और उचित" स्थिति में न माना जाए। नामांकन में उम्मीदवार की शैक्षणिक अर्हता, अनुभव और क्षेत्र विशेषज्ञता, पूर्व-वृत्त और इमानदारी के संबंध में अतिरिक्त जानकारी होना चाहिए, जिससे कि नामांकन समिति उम्मीदवार की "उपयुक्त और उचित" स्थिति पर निर्णय ले सके। किसी प्राधिकारी/ विनियामक एजेंसी से प्राप्त प्रतिकूल सूचना या किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से दिवालियापन या किसी ऋण में चूक की सूचना संबंधित उम्मीदवार को बैंक के निदेशक के रूप में चयनित होने हेतु "अनुपयुक्त व अनुचित" बना देगी। (अधिसूचना की संपूर्ण विषयवस्तु बैंक की वेबसाईट पर निवेशक संबंध शीर्ष के अंतर्गत उपलब्ध है)



Bank of Maharashtra

(Head Office, 1501, 'Lokmangal', Shivajinagar, Pune - 411 005)

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to Regulation 57 of the Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004 that an EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF BANK OF MAHARASHTRA will be held on **Thursday**, **10th January**, **2013** at 10.00 A.M. at **Appasaheb Joag Hall**, Bank of Maharashtra, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune-411005, to transact the following business:

1. To elect ONE director from amongst the shareholders of the Bank, other than the Central Government, in respect of whom valid nominations as prescribed have been received in terms of Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as "the Act") read with The Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as "the Regulation Act") the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970(hereinafter referred to as "the Scheme") and the Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004 (hereinafter referred to as "the Regulations") and Notifications No. DBOD. No. BC. No. 46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 1st November, 2007 read with No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as "RBI Notification") by passing the following resolution:

"RESOLVED THAT one Director elected from amongst shareholders other than the Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with relevant Scheme, Regulations and Notification made thereunder and Notification of Reserve Bank of India, be and is hereby appointed as the Director of the Bank to assume office from the date following the date on which he/she is elected/deemed to be elected and shall hold the office for the unexpired portion of the term of his predecessor i.e upto 31.01.2014."

By order of the Board of Directors

Place : Pune

Date: 7th December 2012

(Narendra Singh)

Chairman & Managing Director

NOTES

1. EXPLANATORY STATEMENT

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect the business of the meeting is annexed hereto.

2. APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING, IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

However, the proxy so appointed will not have any right to speak at the Meeting.

No person shall be appointed as a proxy who is an officer or an employee of Bank of Maharashtra.

As per the Regulations 70(vi), the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates

The proxy form, in order to be effective, must be received at the Head office of the Bank addressed to the General Manager, Investor Services Department, Bank of Maharashtra, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune-411005, not less than **FOUR DAYS** before the date of the meeting, i.e. on or before the closing hours of the Bank, i.e. 2.30 p.m. on **Saturday 5th January, 2013.**

3. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED RERPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the Extra Ordinary General Meeting as a duly authorised representative of any company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorised representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank with the General Manager, Investor Services Department ,Bank of Maharashtra, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune-411005 not less than **FOUR DAYS** before the date of the Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank, i.e. 2.30 p.m. on **Saturday 5th January, 2013.**

4. ATTENDANCE SLIP - CUM - ENTRY PASS-CUM BALLOT PAPER PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass-cum-Ballot Paper Pass is annexed to this notice. Shareholders/Proxy holders/Authorized Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/ Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-cum-Entry Pass cum-Ballot Paper Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be.

The portion of the Ballot paper Pass shall be surrendered at the venue to obtain Ballot Paper at the time of Poll.

5. SPECIFIED DATE FOR THE PURPOSE OF ASCERTAINMENT OF SHAREHOLDERS ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE ELECTION

As announced vide notice dated 27th November 2012, published in the newspaper on 29th November 2012, **Friday, 7th December, 2012** has been fixed as Specified Date in connection with the Extra Ordinary General Meeting and for the purpose of determining the names of shareholders entitled to participate in the election i.e. to nominate, contest and vote for the election of ONE director representing the shareholders of the Bank other than the Central Government as mentioned in the Notice.



6. QUALIFICATIONS REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

- I. In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate being a shareholder of the Bank and who desires to be a Director of the Bank shall
 - (A) have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters namely:-
 - agriculture and rural economy,
 - banking,
 - co-operation,
 - economics,
 - finance.
 - law,
 - small scale industry,

any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank of India is useful to the Bank.

- (B) represent the interest of depositors; or
- (C) represent the interest of farmers, workers and artisans.
- II. In terms of Section 9(3AA) of the Act, a candidate being a shareholder of the Bank and who desires to be a Director of the Bank should possess 'Fit and Proper' status. Further, the elected director should execute the deed of covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

7. DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

In terms of Clause 10 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, A person shall be disqualified for being appointed as, and for being a Director:

- (a) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
- (b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- (c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or
- (d) if he holds any office of profit under any nationalised bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a whole-time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank and
- (e) If he is not found to be a fit and proper person in terms of Notification of Reserve Bank of India No.DBOD.BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 date 01st November, 2007and No.DBOD.BC.No.95 /29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011.

8. TENURE OF DIRECTOR

Director elected to fill in the vacancy of shareholder director arisen on the Board of the Bank shall be deemed to have assumed office from **28th December**, **2012** (if only one valid candidate found on scrutiny of nominations on 27.12.2012). If more than one candidate were found valid after scrutiny, then the vacancy for one Director will be filled up on the date of the meeting and the new director will assume office from **11th January**, **2013**.

As per section 11-B (2) of the Scheme, such elected person shall hold the office for the unexpired portion of the term of his predecessor i.e. upto 31st January, 2014.

Attention of shareholders is invited to Section 9(3B) of the Act, on the right of Reserve Bank of India to remove a Director so elected under Section 9 (3) (i) of the said Act, who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) of the said Act.

9. LIST OF SHAREHOLDERS TO CONTESTANTS

To enable the Shareholders to contest the election, a copy of the complete List of Shareholders as mentioned in Regulation 64 of the Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004 as of the Specified date i.e., **Friday, 7th December, 2012** will be available at the Investor Services Department, Head Office, **Bank of Maharashtra,** 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune 411 005 from **Friday, 14th December 2012** onwards for purchase by shareholders on a pre-payment of Rs.50,000/- (Rupees fifty thousand only) by way of demand draft /pay order on a Scheduled Bank in favour of 'Bank of Maharashtra' payable at Pune.

10. INSPECTION OF THE REGISTER OF SHAREHOLDERS

The Register of Shareholders is also open for inspection at the Head Office of the Bank on all working days (other than Sundays and Bank holidays) i.e. from Monday to Friday between 3.00 p.m. and 5.00 p.m. and on Saturday between 11.00 a.m. and 1.00 p.m. If any shareholder requires a copy or computer prints of the register or of any part thereof, the same shall be supplied to him/her on pre-payment at the rate of Rs.5/- for every 1000 words or fractional part thereof required to be copied.

11. PARTICIPATION IN ELECTION

Such of those shareholders whose names appear on the Register of Members/Beneficial owners as furnished by NSDL/ CDSL/RTA as on **Friday, 7th December, 2012,** shall be entitled to participate i.e. nominate, contest and vote in election of directors from amongst Shareholders other than the Central Government.

As per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder on the specified date (i.e. **Friday, 7th December, 2012**) prior to the date of a meeting shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him/her subject to overall cap of voting as prescribed under section 3(2E) of the Act.



12. NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION

In terms of Regulation 65 of the Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004, and in terms of Notifications of Reserve Bank of India-DBOD. No. BC. No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 1st November, 2007 and No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011 and provisions of other applicable Acts, nomination of a candidate for election as a Director will be valid provided:

- a) he is a shareholder holding, as on Friday, 7th December 2012, being the Specified date for participating in the election, a minimum of 100 shares in Bank of Maharashtra either in physical mode or in electronic/dematerialised mode, and continues to hold a minimum of 100 shares till Thursday 10th January, 2013 and thereafter if he is elected.
- b) as on the last date for receipt of nomination i.e. **Wednesday the 26th December, 2012**, he/she is not disqualified from being a director under the Banking Regulation Act, 1949 or the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 or the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 or the Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004 and Notifications No. -DBOD. No. BC. No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 1st November, 2007 and No.DBOD. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011 of Reserve Bank of India.
- c) there are no calls in arrears in respect of the shares held by him.
- d) the nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect Director under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be despatched to the General Manager, Investor Services Department, Head Office, Bank of Maharashtra, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune-411005 and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.
- e) the nominations by the shareholders (Minimum 100) is accompanied by a declaration alongwith his/her personal details by the candidate, as per the specimen forms of nomination and declaration furnished in this Notice, duly signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an Officer of Reserve Bank of India or any nationalized Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified from being a director, either under the Banking Regulation Act, 1949 or the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 or the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 or the Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations 2004 and that he has enclosed his personal details which are true to the best of his knowledge and belief and that he undertakes to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.
- f) the Nomination Forms and the Declaration Form are as prescribed by the Regulations and as per the Performa annexed (the Performa is also available on the Bank's Website (www.bankofmaharashtra.in).

13. SUBMISSION OF NOMINATION FORMS.

Shareholder desirous of contesting the election of the Director of the Bank from amongst the shareholders, other than the Central Government and being qualified as per the conditions mentioned herein may please submit the following in the formats annexed to the Notice, in a sealed envelope and superscribed "Nomination for Shareholder Director-EGM 2013" to the General Manager, Investor Services Department, Head Office, Bank of Maharashtra, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune 411 005 together with connected/relevant documents complete in all respects, on any working day not less than fourteen days before the date fixed for the Extraordinary General Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank i.e. 5.00 pm on Wednesday 26th December 2012 failing which, the nominations are liable to be rejected.

- a) Duly filled Declaration Form
- b) Nominations from minimum of one hundred shareholders entitled to participate in the election;
- c) Personal Information, Declaration and Undertaking (PDU Form) together with the connected documents, testimonials viz Bio-data, Certificate of Educational Qualifications, Experience etc

14. SCRUTINY OF NOMINATIONS

- (i) Nominations shall be scrutinized on Thursday, 27th December 2012, the first working day following the last date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons thereof.
- (ii) Personal Information, Declaration and Undertaking (PDU Form) shall be subjected to a Due Diligence Check by the Nomination Committee of the Board in terms of the 'Fit and Proper' Guidelines dated 1st November, 2007 and 23.05.2011 issued by the Reserve Bank of India.
- (iii) If there is only one valid nomination for the vacancy to be filled in by the election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his name and address shall be published as so elected. In such an event there shall not be any election at the meeting convened for the purpose and the the Extra Ordinary General Meeting will stand cancelled and the candidate shall assume office on Friday, 28th December 2012.
- (iv) If the valid nominations are more than the number of Director to be elected, the names of the candidates shall be published in the newspapers and the candidate polling the majority of the votes at the election shall be deemed to have been elected and his name will be announced by the Chairman & Managing Director and also published in newspapers and the candidate shall assume office on Friday, 11th January, 2013.
- (v) If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004.

15. WITHDRAWAL OF NOMINATIONS

If any candidate desires to withdraw his/her nomination, he/she would be entitled to do so by sending a letter or fax at any time prior to closing hours of the Bank i.e. 5.00 pm on **Wednesday, 9th January 2013.**



16. VOTING RIGHTS

In terms of the provisions of Section 3(2E) of the Act, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of one per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Subject to the above, as per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder on the Specified date (i.e. **Friday**, **7th December 2012**) prior to the date of the meeting shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him/her subject to overall cap of voting as prescribed under section 3(2E) of the Act.

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Hence if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to vote (by poll or by show of hands) in the meeting.

17. CHANGE OF ADDRESS

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their registered address, to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank at the following address:

M/s. MCS LIMITED

Unit: Bank of Maharashtra
Office No. 21/22, Ground Floor,

Kashiram Jamnadas Bldg, 5 P.D'Mello Road (Ghadiyal Godi)

Masjid East, Mumbai 400 009

Tel 022-2372 6253-56, Fax 022-2372 6252

e-mail: mcspanvel@yahoo.co.in

Shareholders holding shares in electronic form are requested to approach their respective depository participants for effecting the change in their address.

18. Shareholders are requested to bring their copies of the Notice to the meeting.

EXPLANATORY STATEMENT ELECTION OF ONE SHAREHOLDER DIRECTOR

RIGHT OF SHAREHOLDERS TO ELECT DIRECTORS

Shareholders other than Government of India hold 21.05% of the share capital of the Bank. As per Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970, Bank of Maharashtra is entitled to have a maximum of two shareholders representing the shareholders of the Bank (other than the Central Government).

The tenure of Shri Anand Kamalnayan Pandit and Dr. Dinesh Shantilal Patel, the two directors elected by shareholders (other than Central Government) w.e.f. from 01.02.2011, is for a period of three years i.e. upto 31.01.2014. One of these two directors, Shri. Anand Kamalnayan Pandit resigned from the directorship on the Board of the Bank and has ceased to be the Director, w.e.f. 18th July 2012. Thus a vacancy of shareholder director has arisen on the Board of the Bank, w.e.f. the above date.

As per section 11-B (1) and (2) of Nationalised Banks (Management & Misc. Provisions) Scheme 1970, where any vacancy occurs before the expiry of the term of office of an elected director, the vacancy shall be filled in by election, where the duration of the vacancy is more than six months. Such elected person shall hold the office for the unexpired portion of the term of his predecessor.

The duration of the vacancy caused by the resignation of Shri. Anand Kamalnayan Pandit in the present case is more than 18 months and hence the Board of Directors have approved to convene an Extraordinary General Meeting (EGM) to elect one shareholder director to fill in the vacancy and assume the office of shareholder director for unexpired period of the term of Shri Anand Kamalnayan Pandit i.e upto **31.01.2014**. Accordingly, the Extraordinary General Meeting is convened on 10th January 2013

The shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedure detailed in various and relevant Act/Scheme/ Regulations/Notification, the relevant portions of which are indicated hereunder.

ACT/SCHEME/REGULATIONS/ NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act, 1949	Section 16 (1) Section 20 Section 51	 Prohibition of common Directors. Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors. Applicability of certain sections of Act to a corresponding new bank.
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3 (2E) Section 9(3)(i) Section 9(3A) (A) to (C) Section 9(3AA) Section 9(3AB) Section 9(3B) Section 13(2)	 Restriction on voting rights No. of directors to be elected by the shareholders Special knowledge in certain fields No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person found to have fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe. Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9(3AA) of the said Act. Obligation as to fidelity and secrecy



The Nationalised Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 9(4) Clause 10 Clause 11 Clause 11A Clause 11B Clause 12(8)	 Term of office of elected directors Disqualifications from being elected as a Director of the Bank Vacation of office of Director Removal from office of an elected Director Filling of vacancy in the office of elected Director Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested.
Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004	Regulation 10 Regulation 61 Regulation 61A Regulation 61B Regulation 63 Regulation 64 Regulation 65 Regulation 66 Regulation 67 Regulation 68 Regulation 69 Regulation 70	 Exercise of rights of joint holders Voting at General Meetings Scrutineers at Poll Manner of taking poll and result thereof Directors to be elected at General Meetings List of Shareholders Nomination of candidates for election Scrutiny of nominations Election disputes Determination of voting rights Voting by duly authorized representative Proxies
RBI Notification No. DBOD.No. BC.No.46 and 47/29.39.001/ 2007-08 dated 01.11.2007 and No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/ 2010-11 dated 23.05.2011	Pursuant to Section 9(3AA)&Section 9(3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.	Fit and Proper criteria for elected directors on the Board of Nationalized Banks

For the convenience of the shareholders, the relevant extracts from Regulation Act, the Act, the Scheme as well as RBI Notifications No. DBOD. No. BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 are annexed hereto.

One director will be deemed to be elected or elected either after the scrutiny of the nominations (if the number of valid nominations are equal to the number of vacancy) and will assume office from 28th December, 2012 or in subsequent election on 10th January, 2013, if there are more contestants. After such election, he/she will assume office from 11th January, 2013 and in either of the case will hold office for the unexpired portion of the term of his predecessor i.e. upto 31.01.2014

INTEREST OF DIRECTORS

None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned item of business except to the extent of their shareholding and those eligible Directors of the Bank who may contest the election.

By order of the Board of Directors

Place : Pune

Date : 7th December 2012

(Narendra Singh)
Chairman & Managing Director

ELECTION OF DIRECTORS EXTRACTS OF RELEVANT ACTS, SCHEME AND REGULATIONS ETC.

The Banking Regulation Act, 1949

Prohibition of common Directors - Section 16 (1)

No Banking Company incorporated in India shall have as a Director to its Board of Directors any person who is a Director of any other Banking Company.

Restrictions on Loans and Advances - Section 20

- 1) Notwithstanding anything to the contrary contained in Section 77 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), no Banking company shall, -
 - (a) grant any loans or advances on the security of its own shares, or
 - (b) enter into any commitment for granting any loan or advance or advance to or on behalf of
 - (i) any of its Directors,
 - (ii) any firm in which any of its Directors is interested as partner, manager, employee or guarantor, or
 - (iii) any Company not being a subsidiary of the Banking Company or a Company registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or a Government Company of which (or the subsidiary or the holding Company of which) any of the Directors of the Banking Company is a Director, Manager, Employee or guarantor or in which he holds substantial interest, or
 - (iv) any individual in respect of whom any of its Directors is a partner or guarantor.



- Where any loan or advance granted by a Banking Company is such that a commitment for granting it could not have been made if Clause (b) of Sub-section (1) had been in force on the date on which the loan or advance was made, (or is granted by Banking Company after the commencement of Section 5 of the Banking Laws (Amendment) Act. 1968 (58 of 1968), but in pursuance of a commitment entered into before such commencement), steps shall be taken to recover the amounts due to the Banking Company on account of the loan or advance together with interest, if any, due thereon within the period stipulated at the time of the grant of loan or advance, or where no such period has been stipulated, before the expiry of one year from the commencement of the said Section 5;
 - Provided that the Reserve Bank of India may, in any case on an application in writing made to it by the Banking Company in this behalf, extend the period for the recovery of the loan or advance until such date, not being a date beyond the period of three years from the commencement of the said Section 5 and subject to such terms and conditions, as the Reserve Bank of India may deem fit:
 - Provided further that this sub-section shall not apply if and when the Director concerned vacates the office of the Director of the Banking Company, whether by death, retirement, resignation or otherwise.
- No loan or advance, referred to in sub-section (2), or any part thereof shall be remitted without the previous approval of the Reserve Bank of India, and any remission without such approval shall be void and of no effect.
- Where any loan or advance referred to in sub-section (2), payable by any person, has not been repaid to the Banking Company within the period specified in that sub-section, then such person shall, if he is a Director of such Banking Company on the date of the expiry of the said period, be deemed to have vacated his office as such on the said date.

Explanation in this Section -

- (a) "Loan or advance" shall not include any transaction which the Reserve Bank of India may, having regard to the nature of the transaction, the period within which, and the manner and circumstances in which, any amount due on account of the transaction is likely to be realised, the interest of the depositors and other relevant considerations, specify by general or special order as not being a loan or advance for the purpose of this Section:
- (b) "Director" includes a member of any Board or Committee in India constituted by Banking Company for the purpose of managing, or for the purpose of advising it in regard to the management of, all or any of its affairs.
- If any question arises whether any transaction is a loan or advance for the purpose of this Section, it shall be referred to the Reserve Bank of India, whose decision thereon shall be final.

Section 51 of Banking Regulation Act, 1949 mentions the applicability of certain sections of Banking Regulation Act to a corresponding new bank

The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970

Restrictions on voting rights - Section 3(2E)

No shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of one percent of the total voting rights of all the shareholders of the corresponding new Bank.

Composition of the Board of Directors - Section 9 (3) (i)

Where the capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3 is: -

- (1) not more than sixteen per cent of the total paid-up capital, not more than one Director.
- (II)more than sixteen per cent but not more than thirty two percent of the total paid-up capital, not more than two Directors.
- (III)more than thirty two percent of the total paid-up capital, not more than three Directors.
 - to be elected by the shareholders other than the Central Government, from amongst themselves:

Provided that on the assumption of charge after election of any such director under this clause, equal number of directors nominated under clause (h) shall retire in such manner as may be specified in the Scheme.

Provided further that in case the number of directors elected, on or before the commencement of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, in a corresponding new Bank exceed the number of directors specified in sub-clause (I) or sub-clause (II) or sub-clause (III), as the case may be, such excess number of directors elected before such commencement shall retire in such manner as may be specified in the scheme and such directors shall not be entitled to claim any compensation for the premature retirement of their term of office

Special Knowledge in certain fields - Section 9(3A)

The Directors to be elected under the said clause (i) shall-

- (A) have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters namely:
 - i. agriculture and rural economy,
 - ii. banking.
 - iii. co-operation,
 - economics. iv.
 - V. finance.
 - ۷İ. law,
 - vii. small scale industry,



- viii. any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank of India is useful to the corresponding new Bank.
- (B) represents the interest of depositors; or
- (C) represents the interest of farmers, workers and artisans.

FIT and Proper Status

Section -9(3AA)

Without prejudice to the provisions of sub-section (3A) and notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or any other law for the time being in force, no person shall be eligible to be elected as director under clause (i) of sub-section (3) unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as the Reserve Bank may notify from time to time in this regard.

Section 9(3AB)

The Reserve Bank of India may also specify in the notification issued under sub section 3(AA), the authority to determine the fit and proper status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

RIGHT OF RBI TO REMOVE A DIRECTOR - Section 9(3B)

Where the Reserve Bank is of the opinion that any Director of a corresponding new Bank elected under clause (i) of sub-section (3) does not fulfill the requirements of sub-section (3A) it may, after giving to such Director and the Bank a reasonable opportunity of being heard, by order, remove such Director and on such removal, the Board of Directors shall co-opt any other person fulfilling the requirements of sub-section (3A) and as a Director in place of the person so removed till a Director is duly elected by the shareholders of the corresponding new Bank in the next Annual general meeting and the person so co-opted shall be deemed to have been duly elected by the shareholders of the corresponding new Bank as a Director.

Obligation as to Fidelity and Secrecy - Section - 13(2)

Every Director, member of a local Board or a Committee, or Auditor, Advisor, Officer or other Employee of a corresponding new Bank shall, before entering upon his duties, make a declaration of fidelity and secrecy in the form set out in the Third Schedule.

The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970

Term of office of elected Director - Clause 9(4):

An elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election:

Provided no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

Disqualification of Directors - Clause 10:

A person shall be disqualified for being appointed as, and for being a Director:

- a) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
- b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude.
- d) if he holds any office of profit under any nationalised bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a whole-time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank.

Vacation of office of Directors -Clause 11:

- 1. If a Director becomes subject to any of disqualification specified in clause 10, or is absent without leave of the board for more than three consecutive meetings thereof, he shall be deemed to have vacated his office as such and thereupon his office shall become vacant.
- 2. The Chairman or a whole-time Director including the Managing Director or a Director referred to in clause (b) or clause (c) of sub-section 3 of Section 9 of the Act may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and on such resignation being accepted by that Government shall be deemed to have vacated his office; and any other Director may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and such resignation shall take effect on the receipt of the communication of the resignation by the Central Government.
- 3. Without prejudice to the provisions of the foregoing sub-clauses, the office of the Director referred to in Clause (e) or Clause (f) of sub-section 3 of Section 9 of the Act shall become vacant as soon as the Director ceases to be a workman or an employee, other than a workman of the Nationalised Bank of which he is a Director.
- 4. Where any vacancy occurs in the office of a Director other than an elected Director, it shall be filled in accordance with sub-section (3) of Section 9 of the Act

Removal from office of an elected Director -Clause 11A:

The shareholders, other than the Central Government, may, by a resolution passed by a majority of the votes of such shareholders holding in the aggregate, not less than one half of the share capital held by all such shareholders, remove any Director elected under Clause (i) of the sub-section (3) of Section 9 and elect in his stead another person to fill the vacancy.



Filling of vacancy in the office of elected Director- Clause 11B:

- (1) Where any vacancy occurs before the expiry of the term of office of an elected Director, the vacancy shall be filled by election.

 Provided that where the duration of vacancy is likely to be less than six months, the vacancy may be filled in by the remaining Directors.
- (2) A person elected or co-opted, as the case may be, under sub clause (1) shall hold office for the unexpired portion of the term of his predecessor.

Disclosure of interest by Directors- Clause 12(8)

A Director who is directly or indirectly concerned or interested in any contract, loan, arrangement or proposal entered into or proposed to be entered into by or on behalf of the Nationalised Bank shall, as soon as possible after the relevant circumstances have come to his knowledge, disclose the nature of his interest to the Board and shall not be present at the meeting of the Board when any such contract, loan, arrangement or proposal is discussed unless his presence is required by the other Directors for the purpose of eliciting information and no Director so required to be present shall vote on any such contract, loan, arrangement or proposal:

Provided that nothing contained in this sub-clause shall apply to such Director by reason only of his being:

- (i) a shareholder (other than a Director) holding not more than two percent of the paid-up capital in any public Company as defined in the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or any corporation established by or under any law for the time being in force in India or any co-operative society, with which or to which the Nationalised Bank has entered into or made, or proposes to enter into or make, a contract, loan, arrangement or proposal; or
- (ii) an officer or other employee of the Nationalised Bank, if he is a Director (referred to in clause (e) or clause (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act).

Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004

Exercise of rights of joint holders

Regulation 10:

If any share stands in the names of two or more persons, the first named in the register shall as regards voting, receipt of dividend, service of notices and all or any other matters connected with Bank of Maharashtra except the transfer of shares be deemed to be the sole holder thereof.

Directors to be elected at general meetings

Regulation 63:

- (1) A Director under clause (i) of sub-section 3 of Section 9 of the Act shall be elected by the shareholders on the register, other than the Central Government from amongst themselves in the general meeting of the Bank of Maharashtra.
- (2) Where an election of Director to be held at any general meeting, the notice thereof shall be included in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of Directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

List of shareholders

Regulation 64:

- (i) For the purpose of election of a Director under sub-regulation (i) of Regulation 63 of these regulations, a list shall be prepared of shareholders on the register by whom the Director is to be elected.
- (ii) The list shall contain the names of the shareholders, their registered addresses, the number and denoting numbers of shares held by them with the dates on which the shares were registered and the number of votes to which they will be entitled on the date fixed for the meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchase atleast three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee on application at the Head Office.

Nomination of candidates for election

Regulation 65:

- (i) No nomination of a candidate for election as a Director shall be valid unless,
 - (a) he is a shareholder holding not less than 100 (one hundred) shares in the Bank of Maharashtra;
 - (b) he is on the last date for receipt of nomination, not disqualified to be a Director under the Act or under the Scheme;
 - (c) he has paid all calls in respect of the shares of the Bank of Maharashtra held by him, whether alone or jointly with others, on or before the last date fixed for the payment of the call;
 - (d) the nomination is in writing signed by atleast one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a Company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be despatched to the Head Office of the Bank of Maharashtra and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company;
 - (e) the nomination accompanies or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any nationalised Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified either under the Act or the Scheme or these regulations from being a Director.



(f) No nomination shall be valid unless it is received with all the connected documents complete in all respects and received, at the Head Office of the Bank of Maharashtra on a working day not less than fourteen days before the date fixed for the meeting.

Scrutiny of nominations

Regulation 66:

- (i) Nominations shall be scrutinised on the first working day following the date fixed for the receipt of nominations and in case any information is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reason therefore. If there is only one valid nomination for any particular vacancy to be filled by election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his name and address shall be published as so elected. In such an event there shall not be any election at the meeting convened for the purpose and if the meeting had been called solely for the purpose of the aforesaid election it shall stand cancelled.
- (ii) In the event of an election being held, if valid nominations are more than the number of Directors to be elected, the candidate polling the majority of votes shall be deemed to have been elected.
- (iii) A Director elected to fill an existing vacancy shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he is, or is deemed to be elected

Election disputes

Regulation 67:

- (i) If any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed, or declared to be elected, or as to the validity of the election of a Director, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the Chairman and Managing Director of the Bank of Maharashtra and shall in the said intimation give full particulars of the grounds upon which he doubts or disputes the validity of the election.
- (ii) On receipt of an intimation under sub-regulation (i) the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director of the Bank of Maharashtra shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a committee consisting of the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director and any two of the Directors nominated under clauses (b) and (c) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.
- (iii) The committee referred to in sub-regulation (ii) shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was valid election, it shall confirm the declared result of the election or, if it finds that the election was not a valid election, it shall, within thirty days of the commencement of the enquiry make such order and give such directions including the holding of a fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.
- (iv) An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

Voting Rights of Shareholders

Determination of voting rights

Regulation 68:

- (i) Subject to the provisions contained in Section 3(2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of the closure of the register prior to the date of a general meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.
- (ii) Subject to the provisions in Section 3(2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who not being a Company is present in person or by proxy or who being a Company is present by a duly authorised representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in sub-regulation (i)
 - Explanation for this chapter, "Company" means any body corporate.
- (iii) Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself; but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

Voting by duly authorized representative

Regulation 69:

- (i) A shareholder, being the Central Government or a Company, may by a resolution, as the case may be, authorise any of its officers or any other person to act as its representative at any general meeting of the shareholders and the person so authorised (referred to as a "duly authorised representatives" in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or the Company which he represents, as if he were an individual shareholder of the Bank of Maharashtra. The authorisation so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as a duly authorised representative of the Central Government / Company.
- (ii) No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of the Bank of Maharashtra as the duly authorised representative of the Company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorised representative certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of Bank of Maharashtra not less than four days before the date fixed for the meeting.



PROXIES

Regulation 70:

- (i) No instrument of proxy shall be valid unless, in the case of an individual shareholder it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing or in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing, or in the case of a body corporate, signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
 - Provided that an instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Bank of Maharashtra
- (ii) No Proxy shall be valid unless it is duly stamped and a copy thereof is deposited at the Head Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting, together with the power of attorney or other authority, if any under which it is signed. or a copy of that power of attorney or other authority certified as true copy by a Notary Public, or a Magistrate unless such a power of Attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank.
- (iii) No Instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form "B".
- (iv) An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- (v) In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- (vi) The grantor of an instrument of proxy under this regulation shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Bank of Maharashtra.

Notification of Reserve Bank of India – DBOD No. BC NO.46/29.39.001/2007-08 and DBOD No.47/29.39.001 dated 1st November, 2007 and DBOD No. BC No.95/29.39.001/2010 - 11 dated May 23, 2011.

The Reserve Bank of India has notified as under:

No nomination shall be valid unless 'Fit and Proper' status is accorded by the Nomination Committee appointed by the Board of Directors of the Bank for this purpose. The nominations should accompany additional information about the candidates to enable the Nomination Committee to decide on the 'Fit and Proper' status with regard to educational qualification, experience and field expertise, track record and integrity of the candidates. Adverse notice of any authority/ regulatory agency or insolvency or default of any loan from any Bank or financial institution would make the respective candidate unfit and improper to be elected as a Director on the Board. (Complete text of the notification is available on the website of the bank under the head Investor Relations)





बैंक ऑफ महाराष्ट्र

नामांकन फॉर्म

(शेयरधारक द्वारा) (विनियमावली के विनियम 65 (घ) का संदर्भ लें)

प्रति अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्रधान कार्यालय 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर पुणे 411005 प्रिय महोदय,

निदेशक के निर्वाचन के लिए नामांकन

आपके दिनांक 7 दिसंबर, 2012 की सूचना के संदर्भ मे	i, ii	बैंक ऑफ महाराष्ट्र का शेयरधारक शुक्रवार ,
दिनांक 07 दिसंबर 2012 (निर्वाचन में सहभाग लेने के	ईक्विटी शेयरों (पूर्णतः भुगतान	
किए गए) का शेयरधारक हूँ। पुणे में गुरूवार, दिनांक 10	0 जनवरी, 2013 को आयोजित की जाने वाली बैंक के शेयरधार	रकों की असाधारण आम बैठक में बैंककारी कंपनी
(उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 व	की धारा 9(3)(i) के उपबंधों के अनुसार शेयरधारकों का प्रतिनि	धित्व करने वाले बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निदेशक
के रूप में निर्वाचन करने हेतु श्री/श्रीमती		सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी
श्री/श्रीमती	को जो	
		के निवासी हैं, उन्हें एतद्द्वारा नामित करता/करती हूं.
नाम		
हस्ताक्षर		
शेयरों की संख्या		
पंजीकृत फोलियो क्र. (यदि बेकागजीकृत नहीं है तो)		
डी.पी.आई.डी. क्र. व ग्राहक आई.डी. क्र. (यदि बेकागजीकृत है तो)		
स्थान		
दिनांक		

टिप्पणियां :

- 1. यदि नामांकन निगमित निकाय द्वारा किया जाता है तो नामांकन फॉर्म के साथ निदेशक मंडल की जिस बैठक में इस प्रकार का प्रस्ताव पारित किया गया है, उस बैठक के अध्यक्ष के हस्ताक्षरयुक्त निदेशक मंडल द्वारा पारित संकल्प की सत्यापित प्रति संलग्न होनी चाहिए।
- 2. उम्मीदवार को नामित करने वाले शेयरधारकों के हस्ताक्षर को बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षरों से मेल खाने चाहिए।
- 3. यदि उपर्युक्त कोई कॉलम रिक्त छोड दिया जाता है अथवा विवरण गलत पाया जाता है तो, नामांकन को रद्द किया जा सकता है।





Bank of Maharashtra

NOMINATION FORM

(By the Shareholder) (Refer Regulation 65 (d) of the Regulations)

Sl. No.

The Chairman & Managing Director Bank of Maharashtra Head Office, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune – 411 005 Dear Sir,

То

Nomination for Election of a Director

With reference to your Notice dated 7th	December, 2012,	a shareholder of Bank of
Maharashtra, holding equity s	hares of Rs. 10/- each (fully paid up) as on Friday,	7th December, 2012 (being the Specified Date
considered for participating in the election)	do hereby nominate Shri/Smt	son/daughter/
wife of Shri/Smt	residing at	
•	aharashtra representing the shareholders of the Ban dertakings) Act, 1970, at the Extra ordinary General ne.	1 () ()
Name		
Signature		
No. of Shares		
Regd. Folio No (If not Dematerialised)		
D.P.I.D. No. & Client I. D. No. (If Dematerialised)		
Place		
Date		

Notes:

- 1. In case nomination is made by a Body Corporate, the nomination form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
- 2. Signatures of the shareholders nominating the candidates should match with the specimen signatures available with Share Transfer Agent of the Bank.
- 3. If any of the columns above is left Blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to rejected.



घोषणा

(उम्मीदवार के द्वारा)

(विनियमावली के विनियम 65 का संदर्भ लें)

书,	सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती					
निव						
1.	मैं शुक्रवार, दिनांक 07 दिसंबर, 2012 को अर्थात निर्वाचन में सहभाग लेने के लिए मानी गई विनिर्दिष्ट तिथि को बैंक के रू.10/- प्रत्येक के ईक्विटी शेयरों का धारक					
	ू हूं तथा यदि निर्वाचित हुआ तो, मेरे कार्यकाल के अंत तक न्यूनतम 100 ईक्विटी शेयर रखूंगा; तथा					
2.	मुझे *(1) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, (2) बैंकिंग, (3) सहकारिता, (4) अर्थशास्त्र, (5) वित्त, (6) विधि (7) लघु उद्योग, अथवा (का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव जो भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में, बैंक के लिए उपयोगी होगा) का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव है और अधिनियम की धारा 9 की उप					
	् धारा 3 ए के अनुसार जमाकर्ताओं या किसानों, कर्मचारियों व कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हूं और इसके साक्ष्य के रूप में इसके साथ संबंधित प्रमाणपत्र प्रस्तुत					
	करता हूं तथा					
3.	मैं से क्रमांकित नामांकन को स्वीकार करता हूं; और					
4.	मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निदेशक का चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ: और					
5.	मुझे अधिनियम, योजना, विनियमावली और भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक का निदेशक बनने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है; और					
6.	मैं न तो किसी लाभ के पद पर कार्यरत हूं और न ही किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अंतर्गत धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में परिभाषित किसी भी सहायक बैंक का कर्मचारी हूं; और					
7.	मैं अपना व्यक्तिगत ब्यौरा संलग्न कर रहा हूँ जो कि मेरे ज्ञान व विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है; और					
8.	मैं इस घोषणा के बाद यहां दी गई जानकारी से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी मे यदि परिवर्तन होता है तो उसे बैंक को यथासंभव शीघ्र अवगत कराने का तथा बैंक के निदेशक के रूप में मेरे निर्वाचित होने पर प्रसंविदा विलेख निष्पादित करने का वचन देता हूं.					
9. मैं भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार सही और उचित स्थिति के लिए एक अलग व्यक्तिगत जानकारी, घोषणा और वचनपत्र (पीडीयू फॉर्म) भी प्रस्तुत करता हूं						
	IIH					
	प्रस्ताक्षर					
	ोयरों की संख्या					
	र्जीकृत फोलियों क्र. यदि बेकागजीकृत नहीं है तो)					
	गो.पी.आई.डी. क्र. व ग्राहक आई.डी. क्र. यदि बेकागजीकृत है तो)					
	थान					
	देनांक					
उप ना	क घोषणा पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए.					
 ਜਿ						
न्य	पाधीश, मजिस्ट्रेट, ऐश्योरेंस के रजिस्ट्रार अथवा सब- रजिस्ट्रार, या राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक या					
	राष्ट्र या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक) के अधिकारी की मुहर के साथ हस्ताक्षर।					
	्रा भी लागू हैं उसे चिन्हित करें					



DECLARATION

(BY THE CANDIDATE)

(Refer Regulation 65 of the Regulations)

Ι,	sor	n/daughter/wife of Shri/Smt			_, a resident of	
_		here	eby confirm t	hat		
1.	I am a shareholder holding 2012 i.e., the Specified date for particip elected; and			es of ₹ 10/- each of the Bank inimum of 100 equity shares		
2.	I have special knowledge or practical e finance, (vi) law, (vii) small scale indust opinion of Reserve Bank of India, woul artisans, in terms of sub-section 3A of S	try, orld be useful to the Bank) an	(special	al knowledge of and practica t the interest of the deposito	I experience of which in the ors, or farmers, workers and	
3.					·	
4.				-		
5.	I am not disqualified from being a direct	tor of the Bank under the pro	ovisions of th	e Act, Scheme, Regulations	and RBI Notification; and	
6.	I am not disqualified from being a director of the Bank under the provisions of the Act, Scheme, Regulations and RBI Notification; and I neither hold any office of profit nor am an employee of any Nationalised Bank or State Bank of India constituted under subsection (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959; and					
7.	I enclose my personal details which are	to the best of my knowledge	e and belief	are true and complete; and		
8.	I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank.					
9.	 I also submit a separate Personal Information, Declaration and Undertaking (PDU Form) as per Reserve Bank of India directives consider for fit and proper status. 					
	Name					
	Signature					
	No. of Shares					
	Regd. Folio No (If not Dematerialised)					
	D.P.I.D. No. & Client I. D. No. (If Dematerialised)					
	Place					
	Date					
Tŀ	ne above declaration was signed before me	е.			Signature with Seal	
Na	ame :	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Da	ate :					
Si	ignature with Seal of Judge, Magistrate, Re	egistrar or Sub-Registrar of A	ssurance, or	other Gazetted Officer or an	officer of the Reserve Bank	
of	India or	(Bank of Maharashtra or	r any nationa	ılised bank.)		



* Tick whichever is applicable

(भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित पीडीयू फॉर्म)

व्यक्तिगत जानकारी, घोषणा और वचनपत्र बैंक का नाम : बैंक ऑफ महाराष्ट्र यहां पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं

	2012 की स्थिति के अनुसार उचित अनुलग्नक सहित उम्मीदवार द्वारा घोषणा और वचनपत्र				
l.	उम्मी	दवार के व्यक्तिगत विवरण			
	क.	पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में)			
	ख.	पिता का नाम (पूरा)			
	ग.	जन्मतिथि			
	घ.	शैक्षिक योग्यता			
		शैक्षिक / अकेडॅमिक (कृपया जानकारी के समर्थन में प्रमाणपत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियां जोड़ें)			
		शैक्षिक / व्यावसायिक (कृपया जानकारी के समर्थन में प्रमाणपत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियां जोड़ें)			
	ङ.	संबंधित पृष्ठभूमि व अनुभव (कृपया बैंक के निदेशक पद से संबंधित अपना अनुभव दर्शाएं.)			
	ਚ.	स्थायी पता			
	छ.	वर्तमान पता (पत्राचार के लिए)			
	ਗ.	ई-मेल आई डी			
	新.	टेलीफोन क्रमांक (लैंडलाईन)			
		टेलीफोन क्रमांक (मोबाइल)			
		1. आय कर अधिनियम के अंतर्गत स्थायी खाता क्रमांक (पैन) (प्रति जोड़ें).			
		2. आय कर परिमंडल / मंडल जहां व्यक्तिगत कर विवरणी फाइल की जाती है वहां का नाम व पता.			
	স.	संबंधित ज्ञान व अनुभव (बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा9(3-ए) के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार).			
	ਟ.	अन्य कोई जानकारी जो बैंक के निदेशक पद से संबंधित हो तथा उम्मीदवार देना चाहता हो.			
II.	उम्मी	दवार के सुसंगत संबंध			
	क.	उम्मीदवार के रिश्तेदारों की सूची, यदि हो तो, जो बैंक से किसी भी रुप में संबद्ध है (कृपया कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 और अनुसूची l-ए का संदर्भ लें).			
	ख.	इकाईयों की सूची, यदि कोई हो, जिसमें उनके हित - निहित समझे जाएं (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 299(3)(क) व धारा 300 का संदर्भ लें).			
	ग.	प्रस्तावित व विद्यमान इकाइयों की ऐसी सूची, जिसमें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (एनई) के अर्थ के अनुसार उम्मीदवार का हित समझा जाए			
	घ.	पिछले छह वर्षों के दौरान बैंक/बैंकों के निदेशक मंडल में निदेशक पद/सदस्यता (कृपया बैंक के नाम, अधिनियम के संबंधित प्रावधान जिसके अधीन नियुक्ति/ नामांकन किया गया था और ऐसी सदस्यता/निदेशक पद के धारण की अविध दें).			
	ङ.	ll (ख) और (ग) में सूचीबद्ध उम्मीदवार और/ अथवा इकाईयों द्वारा बैंक से निधि आधारित और गैर निधि सुविधाएं (यदि कुछ हों) इस समय उपयोग की जा रही हों			
	ਚ.	ऐसे मामले, यदि कुछ हो, जहां उक्त II (ख) और (ग) में सूचीबद्ध उम्मीदवार या इकाइयां, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अथवा अन्य किसी बैंक से प्राप्त ऋण सुविधाओं के मामले में चूककर्ता हो या पूर्व में चूककर्ता रहे हों.			



III.	व्याव	वसायिक उपलब्धियों का अभिलेख			
	क. व्यावसायिक उपलिब्धियां (कृपया बैंक के निदेशक पद के लिए महत्व रखने वाली संबंधित उपलिब्धियों की जानकारी दें).				
IV.	IV. उम्मीदवार के प्रति कार्यवाही, यदि कोई हो तो				
	क.	यदि उम्मीदवार व्यावसायिक संगठन/निकाय अनुशासनिक कार्रवाई लंबित है या आरंभ हुइ ब्योरा दें या किसी भी समय किसी व्यवसाय/व	ई है या पूर्व में दोष सिद्ध हुआ हो, तो उसका		
	ख.	उक्त II (ख) और (ग) में सूचीबद्ध किसी उम्में कानूनों और विनियमावली के उल्लंघन हेतु प्र जाने के फलस्वरूप अभियोजन का ब्योरा, य	लंबित या प्रारंभ या पूर्व में अपराधी ठहराए		
	ग.	उम्मीदवार के विरुद्ध लंबित, चलाए गए या दो ब्यौरा	ष सिद्ध परिणत हुए आपराधिक मुकदमों का		
	घ.	राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधा- कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274 के अंत उम्मीदवार पर लागू है ?	र्गत उल्लेख की गई कोई भी अयोग्यता क्या		
	퍙.	क्या उक्त II (ख) और (ग) की कोई भी इकाई एजेंसी के संदर्भ पर किसी जांच के अंतर्गत र			
	ਚ.	क्या उम्मीदवार किसी भी समय सीमा शुल्काः अन्य राजस्व प्राधिकारियों द्वारा नियमों/विनि लिए दोषी पाया गया है; यदि ऐसा है तो विवर	यमों/विधिक आवश्यकताओं के उल्लंघन के		
	छ.	क्या उम्मीदवार/निदेशक ने किसी भी समय भारिबैंक, एमसीए, एफईएमए आदि से प्रतिकू (यद्यपि उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक नहीं निष्कर्षों के बारे में कॉलम में उल्लेख किया क्ष्य से समाप्त कर दिए गए, तथापि ऐसी स्थि जबिक वापस लेना / समाप्त करना किसी तब के अभाव आदि से हुआ हो और योग्यता के अ अस्थायी रोक लगी है और अपीलीय / न्याय भी उल्लेख किया जाए।	ल सूचना प्राप्त की है. ों है कि नियंत्रक द्वारा दिए गए आदेशों और जाए जो कि बाद में वापस ले लिए गए/पूर्ण ति में इसका उल्लेख करना आवश्यक होगा क्नीकी कारण यथा परिसीमन या न्यायक्षेत्र गधार पर न हो. यदि नियंत्रक के आदेश पर		
٧.		क. I से IV के संबंध में अन्य कोई स्पष्टीकरण त' स्थिति के निर्धारण हेतु सुसंगत समझी जाए			
हूं वि जोवि	वचनपत्र मैं,				
स्थान	:	:			
दिनांक	देनांक ः उम्मीदवार के हस्ताक्षर				
1.					
			नामांकन समिति के अवलोकन / अभ्यु	र्गुक्तियां :	
_	नाग ान : गांक :	मांकन समिति के सदस्य के हस्ताक्षर	नामांकन समिति के सदस्य के हस्ता स्थान : दिनांक :	क्षर	नामांकन समिति के सदस्य के हस्ताक्षर स्थान : दिनांक :



(PDU FORM PRESCRIBED BY RBI)

Personal Information, Declaration and Undertaking

Name of the Bank: Bank of Maharashtra

Affix passport size photo here

	Declaration & Undertaking by the Candidate with enclosures as appropriate as on2012				
I.	Per	sonal details of the candidate			
	a.	Name in Full (in block capital letters)			
	b.	Father's Name (in Full)			
	C.	Date of Birth			
	d.	Educational Qualifications			
		Educational/academic (Please attach self attested copies of the certificates supporting the information).			
		Educational/professional (Please attach self attested copies of the certificates supporting the information).			
	e.	Relevant Background and Experience (Please indicate your experience relevant to the directorship of the Bank.)			
	f.	Permanent Address			
	g.	Present Address (For correspondence)			
	h.	E-mail ID			
		Telephone Number (Landline)			
		Telephone Number (Mobile)			
	i.	 Permanent Account Number under the Income Tax Act (please enclose a copy). Name and address of Income Tax Circle/Division where personal tax returns are being filed. 			
	j.	Relevant Knowledge and Experience (As required under Section 9(3-A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970.			
	k.	Any other information which the candidate desires to furnish and relevant to the Directorship of the Bank			
II.	Rel	evant Relationships of the Candidate			
	a.	List of Relatives of the candidate, if any, who are connected with the Bank in any way (Please refer to Section 6 and Schedule I-A of the Companies Act, 1956).			
	b.	List of entities, if any in which he/she is considered as being interested (Refer Section 299(3)(a) and Section 300 of the Companies Act, 1956).			
	C.	List of entities in which the candidate is considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne) of the Banking Regulation Act, 1949 proposes and existing			
	d.	Directorship/Membership on the Board(s) of bank(s) during the past six years (Please give the name(s) of the bank(s), the relevant provisions of the Act under which the appointment/nomination was made and the period of holding such Membership/Directorship).			
	e.	Fund and non-fund facilities, if any, presently being enjoyed by the candidate and/or by the entities listed at II (b) and (c) above from the bank.			
	f.	Cases, if any, where the candidate or entities listed at II (b) and (c) above are in default or have been in default in the past in respect of credit facilities obtained from the Bank of Maharashtra or any other bank.			



III.	Records of Professional Achievements	s		
	Professional achievements (Please furnish the details of the achievements which may have a bearing on the directorship of the bank).			
IV.	Proceedings, if any, against the Candi	date		
	If the candidate is a member of a proof of disciplinary action, if any, pendiconviction in the past against him/banned from entry of at any profess	ng or commenced or resulting in /her or whether he/she has been		
	 Details of prosecution, if any, pend conviction in the past against the ca entities listed in II (b) and (c) above regulations. 	andidate and/or against any of the		
	 Details of criminal prosecution, if resulting in conviction in the past present litigation if any. 			
	d. Whether the candidate attracts any under Section 274 of the Companies the Nationalised Banks (Manageme Scheme, 1970 ?	s Act, 1956 read with Clause 10 of		
	Has the candidate or any of the ent subject to any investigation at the in or agency?	` ' ' '		
	f. Has the candidate at any time beer regulations/legislative requirements foreign exchange/other revenue auti	by customs/excise/income tax /		
	g. Whether the candidate/director had notice of a regulator such as SEBI,			
(Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings made by regulators which have been later on reversed / set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal / setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, etc, and not on merit. If the order of the regulator is temporarily stayed and the appellate / court proceedings are pending, the same also should be mentioned).				
V.	V. Any other explanation / information in regard to items I to IV and other information considered relevant for judging 'fit and proper' status.			
		Undertaking		
that soo info	I,			
I als	so undertake to execute the deed of coven	ant required to be executed by the di	rectors of	the bank.
Place Date				Signature of the Candidate
	osures :			0.9
1.	Wherever space is not sufficient, please at		hronologic	al order and with appropriate cross reference.
2. Each pages (including annexure) are required to be signed by the candidate.			0	****
	Obser	rvations / Remarks of the Nomination	on Comm	illee:
Signature of Nomination Committee S Member		Signature of Nomination Comm Member	ittee	Signature of Nomination Committee Member
	ace:	Place :		Place:
Da	ate :	Date :	I	Date :





बैंक ऑफ महाराष्ट्र

प्रधान कार्यालय : 'लोकमंगल', 1501, शिवाजी नगर, पुणे 411 005

प्रॉक्सी फॉर्म (फॉर्म 'बी')

(शेयरधारक द्वारा भरे जाने व हस्ताक्षर करने के लिए)

पंजीकृत फोलियो संख्या (यदि बेकागजीकृत नहीं है)
डी.पी.आई.डी. क्र. ग्राहक आई.डी. क्र. (यदि बेकागजीकृत है)
शेयरों की संख्या

मैं/हम		= निवासी		
जिला	राज्य	बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेय	रधारक होने के नाते एतव	द्धारा श्री/श्रीमती
	निवासी	जिला	राज्य	को
अथवा इनके न होने पर श्री/श्रीमती	निवासी	जिला	राज्य	
को गुरूवार दिनांक 10 जनवरी 2013 को प्रातः	10.00 बजे अप्पासाहेब जोग हॉल, बैंक ॲ	ॉफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजी न	नगर, पुणे 411 005 में होने वाली	बैंक ऑफ महाराष्ट्र
की असाधारण सामान्य बैठक में या उसके स्थ	गित होने पर होने वाली बैठक में अपनी/	हमारी ओर से वोट देने के लिए प्रॉक्सी के	रूप में नियुक्त करता/ करती ह्	;
दिनांक 2012 को हस्ताक्षरित				
				15 पैसे का
				राजस्व टिकट
 प्रॉक्सी के हस्ताक्षर		 प्रथम शेयरधारक/एकल इ	गेयरधारक के हस्ताक्षर	
नाम :				
पता :				

प्रॉक्सी फॉर्म पर हस्ताक्षर करने व उसे दर्ज करने संबंधी अनुदेश

- 1. कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि, -
 - क) वैयक्तिक शेयरधारक के मामले में यह उसके द्वारा या लिखित में विधिवत प्राधिकृत अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हो,
 - ख) संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में पहले नामित शेयरधारक द्वारा या लिखित में विधिवत प्राधिकृत उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हो.
 - ग) निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकारी या लिखित में विधिवत प्राधिकृत उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हो. यह नोट किया जाए कि प्रॉक्सी की नियुक्ति के लिए विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि / अधिकार के रूप में उसकी नियुक्ति के संकल्प की एक प्रति जो कि बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रति के रूप में संलग्न की जाए.
- 2. प्रॉक्सी लिखत किसी शेयरधारक द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए। यदि कोई शेयरधारक किसी भी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ हो तो जब उस पर उसके अंगूठे का निशान लगाया गया हो और उसका अधिप्रमाणन किसी न्यायाधीश या मॅजिस्ट्रेट या एश्योरेंस के रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार अथवा राजपत्रित सरकारी अधिकारी या बैंक ऑफ महाराष्ट्र के किसी अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित किया गया हो.
- 3. प्रॉक्सी फॉर्म
 - क. मुख्तारनामा या अन्य किसी प्राधिकारी (यदि कोई हो) जिसके अधीन उस पर हस्ताक्षर किया गया हो या
 - ख. किसी नोटरी पब्लिक अथवा किसी मॅजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित मुख्तारनामे या प्राधिकार की एक प्रति के साथ असाधारण आम बैठक की तारीख से कम से कम **चार दिन** पूर्व अर्थात **शनिवार दिनांक 05 जनवरी 2013** के समापन समय से पहले अर्थात दोपहर 2.30 बजे तक बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रधान कार्यालय में महाप्रबंधक, निवेशक सेवाएं विभाग, लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर, पूणे 411 005 में जमा किया जाए.
- 4. कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जब तक की उस पर विधिवत स्टैम्प न लगाया गया हो.
- 5. बैंक के पास जमा की गई प्रॉक्सी लिखत अपरिवर्तनीय व अंतिम होगी.
- यदि कोई प्रॉक्सी लिखत दो ग्राहियों के पक्ष में दी गई हो तो एक से अधिक फॉर्म का निष्पादन नहीं किया जा सकता.
- 7. 🛾 एक प्रॉक्सी लिखत का निष्पादन करने वाले शेयरधारक को उस असाधारण आम बैठक में स्वयं मत देने की अर्हता नहीं होगी, जिससे ऐसी लिखत संबंधित है.
- 8. ऐसे किसी व्यक्ति को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप नियुक्त नहीं किया जा सकता जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का अधिकारी या कर्मचारी हो.
- 9. कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि वह फॉर्म ''बी'' में न हो.





Bank of Maharashtra

Head Office: 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune 411 005

PROXY FORM (FORM 'B')

(To be filled in and signed by the Shareholder)

Regd. Folio No.
(if not Dematerialised)

DP ID No.
Client ID No.
(if Dematerialised)

No. of Shares

I / We		resident/s of		
in the district of	in the state	of	being a share	eholder / shareholders of Bank
of Maharashtra, hereby appoint	Shri / Smt.			resident of
	in the district of		in the state of	f
or failing him, Shri / Smt		resident of		in the district of
	in the state of	as my / our	proxy to vote for me	e / us and on my / our behalf a
the Extraordinary General Meeting	ng of the shareholders of Bank of	Maharashtra to be held o	n Thursday the 10	th January 2013 at 10.00 a.m.
at Appasaheb Joag Hall, Bank o	f Maharashtra, 'Lokmangal', 1501	, Shivajinagar, Pune-411 (005 and at any adjo	ournment thereof.
Signed thisc	lay of 201			Revenue Stamp 15 Paise
Signature of Proxy Name :		Sig	gnature of first name	ed / sole shareholder

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- 1. No instrument of proxy shall be valid unless,
 - a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
 - b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
 - c) in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing. It is to be noted that a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative/ power to appoint a proxy, certified to be true copy by the Chairman of the meeting is to be attached
- 2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her mark is affixed thereto and attested by a Judge or Magistrate or Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Bank of Maharashtra.
- 3. The proxy together with
 - a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
 - b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of Bank of Maharashtra with the General Manager Investor Services Department, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune 411 005 not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank i.e 2.30 pm on **Saturday, the 5th January 2013**.
- 4. No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped.
- 5. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- 6. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- 7. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.
- 8. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Bank of Maharashtra.
- 9. No instrument of proxy shall be valid unless it is in Form "B".





बैंक ऑफ महाराष्ट्र

उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पर्ची-सह- मतदान पर्ची

असाधारण सामान्य बैठक

दिनांक : गुरूवार 10 जनवरी 2013 समय : प्रात: 10.00 बजे

स्थान : अप्पासाहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 'लोकमंगल', 1501, शिवाजी नगर, पुणे 411 005

उपस्थिति पर्ची

(स्थल पर प्रवेश के समय सौंपा जाना है)

शेयरधारक/प्रॉक्सी/उपस्थित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	
पंजीकृत फोलियो (यदि बेकागजीकृत नहीं है)	डीपी आई डी व ग्राहक आई डी (यदि बेकागजीकृत है)
शेयरधारक का नाम	
शेयरों की संख्या	

 \cite{K} ------- यहां से काटें ----- \cite{K}

बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्रवेश पर्ची

(संपूर्ण बैठक के दौरान साथ रखा जाए)

असाधारण सामान्य बैठक दिनांक : गुरूवार 10 जनवरी 2013 समय प्रातः 10.00 बजे

शेयरधारक/प्रॉक्सी/उपस्थित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	
पंजीकृत फोलियो (यदि बेकागजीकृत नहीं है)	डीपी आई डी व ग्राहक आई डी (यदि बेकागजीकृत है)
शेयरधारक का नाम	
शेयरों की संख्या	

शेयरधारकों / प्रॉक्सी या प्राधिकृत प्रतिनिधि से अनुरोध किया जाता है कि वे उपर्युक्त उपस्थिति पर्ची को हॉल में प्रवेश करने के लिए बैंक के साथ पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुरूप विधिवत हस्ताक्षर कर प्रवेश पर्ची के साथ प्रस्तुत करें। तथापि आवश्यक समझे जाने वाले सत्यापन/जांच के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। किसी भी स्थिति में बैठक के प्रवेश स्थल पर उपस्थिति पर्ची की अनुलिपि जारी नहीं की जाएगी।

% ------- यहां से काटें ------- अ

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

मतदान पर्ची

(बैलट पेपर जारी करने हेतु मतदान काऊंटरों पर सौंपा जाए)

असाधारण सामान्य बैठक दिनांक : गुरूवार 10 जनवरी 2013 समय प्रात: 10.00 बजे

शेयरधारक/प्रॉक्सी/उपस्थित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	
पंजीकृत फोलियो (यदि बेकागजीकृत नहीं है)	डीपी आई डी व ग्राहक आई डी (यदि बेकागजीकृत है)
शेयरधारक का नाम	
शेयरों की संख्या	





Bank of Maharashtra ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS-CUM-BALLOT PAPER PASS

EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Date : Thursday the 10th January 2013

Time : 10.00 a.m.

Place : Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005.

ATTENDANCE SLIP

(To be surrendered at the time of Entry to the Venue)

Signature of the Shareholder / Proxy / Representative present	
Regd. Folio (If not dematerialized)	DP ID & Client ID (If dematerialised)
Name of the Shareholder	
Number of Shares	

 \gg ------ cut here ------ \gg

Bank of Maharashtra

ENTRY PASS

(to be retained throughout the meeting)

EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING Date: Thursday the 10th January 2013 Time: 10.00 a.m.

Signature of the Shareholder / Proxy / Representative present	
Regd. Folio (If not dematerialized)	DP ID & Client ID (If dematerialised)
Name of the Shareholder	
Number of Shares	

Shareholders / proxy or authorised representative of shareholders are requested to produce the above attendance slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, alongwith the entry pass, for admission to the venue. The admission will, however, be subject to verification / checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate attendance slip will be issued at the entrance to the meeting.


Bank of Maharashtra BALLOT PAPER PASS

(To be surrendered to the Polling counters for issue of ballot paper)

EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING Date: Thursday the 10th January 2013 Time: 10.00 a.m.

Signature of the Shareholder / Proxy / Representative present	
Regd. Folio (If not dematerialized)	DP ID & Client ID (If dematerialised)
Name of the Shareholder	
Number of Shares	





बुक-पोस्ट BOOK - POST

सेवा में, To,				

सुपुर्व न होने पर कृपया लौटाएंः मेसर्स एमसीएस लि. यूनिटः बैंक ऑफ महाराष्ट्र आफिस नम्बर २१/२२ भूतल, काशीराम जमनादास बिल्डिंग, 5 डिमेलो रोड (घड़ियाल गोदी), मस्जिद (पूर्व), मुंबई 400 009 If undelivered please return to:

M/s. MCS Ltd.

Unit: Bank of Maharashtra
Office No. 21/22, Ground Floor,
Kashiram Jamnadas Building,
5 D'Mello Road (Ghadiyal Godi),
Masjid (East), Mumbai 400 009.



एक परिवार एक बैंक